

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 जुलाई, 1997

खण्ड-1 अंक-14

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 21 जुलाई, 1997

पृष्ठ संख्या

भाषक प्रस्ताव	(14)1
तारांकित प्रन एवं उत्तर	(14)11
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रनों के लिखित उत्तर	(14)25
सचिव द्वारा धोशणा	(14)29

वैयक्तिक स्पष्टीकरण	(14)30
खेल राज्य मंत्री द्वारा	(14)30
सिंगन प्रस्ताव की सूचना/बैठक का सिंगन	(14)30
बिजनैस एजवाइजरी कमेटी की पहला रिपोर्ट पे ट करना	(14)31
वाक आउट	(14)37
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(14)38
वर्ष 1992–93 की एक्सैस डिमाडज ओवर ग्राटस एंड एप्रोप्रिए अंज प्रस्तुत करना	(14)39
बिल्ज	
(I) दि हरियाणा एंड पजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हरियाणा अमैडमैट बिल, 1967	(14)39
(II) दि पजाब एक्साइज हरियाणा सैकिड अमैडमैट बिल, 1997	(14)40
(III) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स अमैडमैट बिल, 1997	(14)42

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 21 जुलाई, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैकटर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रोफैसर छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

भाषक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब मुख्यमंत्री भाषक प्रस्ताव पे त करेगे।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, इस से तन की पिछली सिटिंग और इन सिटिंग के बीच मे हमारे कुछ साथी इस असार संसार से चले गए है, मै उनके बारे भाषक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हू।

सरदार हरमिन्द्र सिंह, हरियाणा के मंत्री

यह सदन हरियाणा के मंत्री महोदय सरदार हरमिन्द्र सिंह के 13 मई, 1997 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाषक प्रकट करता हू।

सरदार हरमिन्द्र सिंह का जन्म 4 फरवरी, 1936 को हुआ। उन्होने एम0,ए0, एल0एल0बी0 की डिग्री प्राप्त की। वह 1960 मे सयुक्त पजाब के हिसार जिले के सरकारी वकील नियुक्ता किए गए। उन्होने 1964 मे सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर

फतेहबाद मे वकालत भुरू कर दी। सरदार हरमिन्द्र सिंह ने अपना राजनैतिक जीवन 1968 मे भुरू किया और वे एक लोकप्रिय नेता व सक्रिय समोदर्वी थे। वह मई 1996 मे हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए और 14 जनवरी, 1997 को मंत्री बने। वह अपने क्षेत्र मे कई समाजिक एवम भौक्षणिक संस्थाओ से जुई रहे। वह बड़े ही भान्त, फाईट एवम दयालू स्वभाग के व्यक्ति थे।

उनके निधन से राज्य एक कुल प्रासन और विवेक फील जन सेवक सेवाओ से वचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाऊक संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अतर सिंह माडीवाला, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतर सिंह माडीवाला जी हमारे माननीय सदस्य श्री नृपेन्द्र सिंह के पिता जी थे के 13 जुलाई, 1997 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाऊक प्रकट करता हू।

उनका जन्म 16 जनवरी, 1926 को हुआ। उन्होने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। व्यवसाय से कृशक श्री अतर सिंह 1952 एवम 1957 मे तकालीन पेपसू विधान सभा के सदस्य चुने गये और वर्ष 1952–53 के दौरान मंत्री रहे। वह वर्ष 1991 मे हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। उन्होने गरीबो के उत्थान मे गहरी रुची ली।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रासक एवम् समाज सुधारक की सेवाओं से वचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भांक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री बीजू पटनायक, उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, भारत सरकार

यह सदन उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक के 17 अप्रैल, 1997 को हुए दुखद निधन पर गहरा भांक प्रकट करता हू।

श्री बीजू पटनायक का जन्म 5 मार्च, 1916 को हुआ। उन्होंने अपनी बी0एस0सी0 की शिक्षा को बीच मे छोड़ कर पायलट की ट्रेनिंग ली जो अन्तत उन्हे रायल एयर फोर्स मे भासिल होने मे सहायक सिद्ध हुई। उन्होंने निडरता से भारत छोड़ो आन्दोलन मे भाग लिया, जिसके दौरान उन्हे जेल जाना पड़ा। एक कुल पायंलय के रूप मे इन्डोनेशिया के स्वतन्त्रता सेनानियों की सहायता के लिए उनके अदम्य साहस तथा 1948 मे जम्मू कश्मीर पर हमले के दौरान निभाई गई उनकी भूमिका युवकों के लिए हमे आ प्रेरणादायक रहेगी। विमाम द्वारा सैनिकों को श्रीनगर तक ले जाने वाले वह पहले व्यक्ति थे। यह 1952 से 1973 के दौरान उड़ीसा विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1985

और 1990 मे पुन उडीसा विधान सभा के लिए चुने गए। वह 1961 से 1963 और पुन 1990 मे 1995 तक उडीसा के मुख्य मंत्री रहे।

वह 1972 मे राज्य सभा के लिए चुने गए और 1997 से 1979 तथा 1980 से 1984 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1977 से 1980 के दौरान मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमण्डल मे केन्द्रीय मंत्री रहे।

उनके निधन से देश के विकास के लिए वचनबद्ध, योग्य प्राप्ति, अनुभवी सासद और एक महान देशभक्त की सेवाओ से विचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाषक संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार आत्मा सिंह, पजाब के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन पजाब के भूतपूर्व मंत्री सरदार आत्मा सिंह के 27 मई, 1997 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाषक प्रकट करता हू।

उनका जन्म 28 जनवरी, 1912 को हुआ। वे 1952, 1957, 1969 और 1977 मे पजाब विधान सभा के लिए चुने गये। वह 1969 और पुन 1977 मे मंत्री रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्राप्ति, एवम समाज सुधारक और एक अनुभवी विधायक की सेवाओ से विचित हो गया

है। यह सदन दिवंगत नेता के भांक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री लेखा राम ठाकुर, तत्कालीन पैप्सु विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष

यह सदन तत्कालीन पैप्सु विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री लेखाराम ठाकुर के 3 मई, 1997 को हुए दुखद निधन पर गहरा भांक प्रकट करता हू।

उनका जन्म 10 अक्टूबर, 1926 को हुआ। अपनी शिक्षा के बाद वह सेना मे भर्ती हो गए और “आजाद हिन्द फोर्ज” से समबद्ध रहे। वह प्रजा मण्डल आन्दोलन के संस्थापकों मे से एक थे। वह 1952 मे तत्कालीन पैप्सु विधान सभा के लिए चुने गए और इसके उपाध्यक्ष रहे। वह 1967 और पुन 1972 मे हिमाचल प्रदे विधान सभा के लिए चुने गए। वह हिमालचल प्रदे विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे और 1977 मे राज्य मंत्री भी रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्राप्ति, अनुभवी विधायक और एक प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भांक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री कै०एस० पाठक, सिचाई विभाग, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यअभियन्ता

यह सदन विभाग, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता श्री के०एस० पाठक के 14 जुलाई ,1997 को हुए दुखद निधन पर गहरा भावक प्रकट करता हू।

उनका जन्म 2 जून, 1919 को हुआ। वह 16 जून, 1942 को सिचाई विभाग मे एस०डी०ओ० के पद पर नियुक्त किए गए और उन्हे 25 जुलाई, 1969 को मुख्यअभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया तथा 21 अगस्त, 1974 तक वह इस पद पर रहे। वह अगस्त 1974 से जून 1977 तक वैपको, नई दिल्ली के चेररमेन भी रहे। श्री पाठक एक निपुण एवम विवेक गील व्यक्ति थे, जिन्होने, सिचाई विभाग मे मुख्यअभियन्ता के रूप मे उठान सिचाई योजनाओ की रूप रेखा तैयार करके दक्षिण हरियाणा के भुल्क इलाके को हरा भरा बनाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य के प्रति समर्पित सेवाओ के लिए उन्हे पदमश्री से अलंकृत किया गया। वर्तमान सरकार मे सिचाई सलाहकार के रूप मे कार्यरत श्री पाठक सिचाई प्रणाली को एक पद नई दि आ देने मे लगे हुए थे।

उनके निधन से दे । एक निपुण एवम सत्यनिश्ठ व्यक्ति की सेवाओ से वचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भावक संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

मास्टर हरि सिह, सयुक्त पजांब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन सयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, मास्टर हरि सिंह के 16 जून ,1997 को हुए दुखद निधन पर गहरा भावक प्रकट करता हू।

उनका जन्म 18 मार्च, 1902 को हुआ। उन्होने अपना जीवन एक अध्यापक के रूप में भुर्ला किया। वह 1937 और पुन 1946 मे पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह पंजाब विधान परिषद के भी दो बार सदस्य रहे। उन्होने स्वतत्रता आन्दोलन के सक्रिय भाग लिया।

उनके निधन से दे । एक योग्य विधायक और एक महान स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओ से वचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भावक संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कामरेड बचन सिंह, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सयुक्त पंजाब सभा भूतपूर्व सदस्य, मास्टर कामरेड बचन सिंह के 8 मई ,1997 को हुए दुखद निधन पर गहरा भावक प्रकट करता हू।

उनका जन्म 19 सितम्बर, 1919 को हुआ। उन्होने अपना जीवन एक पांयलट के रूप में भुर्ला किया। वह 1952 मे पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। उन्हे 1972 मे ताम्रपत्र मे विभूषित किया गया।

उनके निधन से दे । एक योग्य विधायक की सेवाओं से वचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भांक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री एस०पी० सिंह, वरिश्ठ पत्रकार एवम् दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रख्यात व्यक्तित्व

यह सदन वरिश्ठ पत्रकार एवम् दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रख्यात व्यक्तित्व श्री एस०पी० सिंह के 27 जून, 1997 को हुए दुखद निधन पर गहरा

भांक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म 3 दिसम्बर, 1948 को हुआ। उन्होंने नवभारत टाइम्स के मुम्बई कार्यालय में नियुक्त होने से पहले एक लैक्चरार के रूप में अपना जीवन भुर्ल किया। वे भीघ्र ही माधुरी पत्रिका में चले गए तत्प चात मार्च 1977 में धर्मयुग पत्रिका के उप सम्पादक नियुक्त हुए। वे आनंद बाजार पत्रिका समूह की साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका रविवार के सहायता सम्पादक के पद पर रहे और बाद में इसके सम्पादक बने। वर्ष 1985 में वह 'नवभारत टाइम्स' में स्थानीय के पद पर वापिस चले गये।

वह 1986 में 'नवभारत टाइम्स' के कार्यकारी सम्पादक नियुक्त किये गए और उनका स्थानान्तरण मुम्बई में दिल्ली किया गया। वह जुलाई 1995 में 'इण्डिका टुडे' के क्षेत्रीय संस्करण के कार्यकारी सम्पादक बने। अपने निधान के समय वे दूरदर्शन के

लोकप्रिय समाचार कार्यक्रम 'आज तक' के कार्यकारी निर्मता थे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करने की भौली के लिए उन्हे सदैव याद किया जाएगा।

उनके निधन से दे । एक प्रतिभा गाली पत्रकार, महान लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से बचित हो गया है यह सदन दिवंगत नेता के भांक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 22 मई, 1997 को मध्यप्रदे । के जब्बलपुर भाहर मे आये भुकम्प से मरने वाले लोगों के दुखत व असामयिक निधन पर गहरा भांक प्रकट करता हू।

यह सदन दिवगतों के भांक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 15 अप्रैल, 1997 मे मक्का के नजदीक मीना मे भीशण आग से मरने वाले श्रद्धालुओं के दुख व असामयिक निधन पर गहरा भांक प्रकट करता है।

यह सदन दिवगतों के भांक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 6 अप्रैल व 6 जून, 1997 को पठानकोट मे बसो और 8 जुलाई, 1997 को भटिडा के निकट एक यात्री

रेलगाड़ी मे हुए बम विस्फोट मे मरने वाले लोगो के दुख एवम असामयिक निधन पर गहरा भावक प्रकट करता है।

यह सदन दिवगतो के भावक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

यह सदन 13 जून, 1997 को दक्षिणी दिल्ली के 'उपहार' सिनेमा हाल मे भीशण आग और भगदड से मरने वाले लोगो के दुखत व असामयिक निधन पर गहरा भावक प्रकट करता है।

यह सदन दिवगतो के भावक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

यह सदन 13 जुलाई, 1997 को जिला पानीपत के भालसी गांव के निकट एक ट्रक की हरियाणा परिवहन की खड़ी बस से टक्कर हो जाने से मरने वाले यात्रियो के दुखत एवम असामयिक निधन पर गहरा भावक प्रकट करता है।

यह सदन दिवगतो के भावक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

प्रक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत है मैं उसके समर्थन मे बोलने के लिए खड़ा हुआ हू। सरदार हरमिन्दर सिंह जी चौधरी बंसी लाल जी के मंत्रिमण्डल के सदस्य थे, बड़े नेक इंसान थे।

उनका भारीर पूरा होने से दो दिन पहले भी हम सब उनकी चर्चा कर रहे थे। वे बहुत हिम्मत वाले और बड़े साफ दिल के आदमी थे। उनके निधन से बहुत गहरा धक्का लगा है।

इसी तरह चौधरी अतर सिंह माढीवाला हमारे भाई नुपिन्द्र सिंह जी जो बाढ़डा से विधायक है, उनके पिता थे। मेरे पड़ौस के थे, वे सबसे छोटी उम्र के विधायक उस इलाके से 1952 में चुनकर आए और तब से लेकर के अब तक वे संघर्ष करते रहे। पैप्सू का जब समय था तो उस समय सबसे छोटी उम्र के मंत्री होने का सौभाग्य उनको मिला। वे पूरे हमारे जिले व इलाके में ईमानदार व अपने साफ दिल के लिए प्रसिद्ध थे। किसानों और गरीबों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया उसके लिए उन्हे सदैव याद किया जाता रहेगा।

इसी तरह श्री बीजू पटनायक जी जनता पार्टी के समय हमारे साथ थे और वे अपने अदांज के राजनेता थे। वे सर्विसिज से राजनीति में आए। आजादी की लड़ाई के समय आप सबको ध्यान होगा कि किस तरह से वे पड़ित जवाहर नेहरू जी को खुद पायलट बनकर हवाई जहाज के गोआ के आदोलन में से निकालकर ले आए थे। उनके निधन से दे ता ने एक बहुत बड़े देशभक्त को खो दिया है और राजनीति में बहुत बड़ा स्थान करता हू।

इसी प्रकार सरदार आत्मा सिंह जी पजांब के पूर्व मंत्री श्री लेख राम ठाकुर, के०एस० पाठक जिनका हरियाणा के उस इलको के निर्माण मे जिसमे पानी के द र्नि नहीं होते थे यह जो भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिला जहां खींप और फोंक के सिवाय कुछ नहीं होता था वहां के लोगो को ईख की फसल की कल्पना करके की हिम्मत के०एस० पाठक न दी। उनके और चौधारी बंसी लाल जी के प्रयासो से वहा ईख की फसल होने लगी। श्री०के० एस० पाठक के निधन से अभियंता जगत मे बहुत बड़ी खलल पैदा हुई है।

इसी तरह मास्टर हरि सिंह, कामरेड बचन सिंह जी के निधान पर मै उनके भाऊक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हू। इसी तरह श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। हिन्दुस्तान और दुनिया के लोग 'आज तक' नामक जो कार्यक्रम दूरद र्नि पर देखते थे इससे पूर्व दूरद र्नि पर अंग्रेजी कार्यक्रमो की होड़ लगी हुई थी उसमे हिन्दी का कोई कार्यक्रम किसी ने प्रारम्भ किया हिन्दी को इलैक्ट्रौनिक मीडिया पर मान्यता दिलाई तो वह सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने दिलाई और हिन्दी पत्रकारिता मे नये इतिहास की रचना की। उनके निधन के बाद से टेलीविजन के डिब्डे मे लोग सूना सूना सा महसूस करते है। हिन्दी पत्रकारिता को उन्होने बहुत बड़ी वि वसनीयता प्रदान की। कल ही हम उनको बहादुरगढ़ मे श्रद्धाजलि दे रहे थे। पत्रकारिता के क्षेत्र मे लोगो पर तरह तरह की तोहमते आती है यह काफी

कठिन काम होता है वे न्याय के पक्षधार थे। भांशण के विरुद्ध जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता था उनकी आवाज एस०पी० सिंह जी उठाते थे उनके निधन से पत्रकारिता जगत और कलमकारों के बीच बड़ा खलल पैदा हुआ है। उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी गहरी सर्वेदना प्रकट करता हूँ। स्पीकर साहब, जबल्पुर मेरे भूकम्प से जिन लोगों का निधन हुआ, मक्का के समीप मीना मेरे आग से जिन लोगों का बदन जला, पठानकोट मेरे बस मेरे बम विस्फोट से और भटिडा मेरे यात्री गाड़ी मेरे बम फटने से जिन लोगों का निधन हुआ, उपहार सिनेमा मेरे लगी आग की त्रासदी के समय एस०पी० सिंह के मुह से यह भाव्य निकले कि हादसे तो यूँ ही होते रहते हैं और जिन्दगी चलती रहती है उनके आगे उनकी बुलन्द आवाज बंद हो गई और दूरदर्शन पर उनकी आवाज दोबारा नहीं आई। उपहार सिनेमा मेरे जिन लोगों का देहान्त हुआ और पानीपत के समीम बस दुर्घटना मेरे जिन लोगों का निधन हुआ उनके परिवार जनों के प्रति मैं गहरा संवदेना प्रकट करता हूँ। महोदय, मैं सदन के नेता से निवेदन करता हूँ हमारे सदस्य चौधारी जगबीर सिंह मलिक जो गोहाना से चुनकर आये हैं उनके पूज्य पिता जी चौधारी फतेसिंह जी के निधन का प्रस्ताव भी इस भांक प्रस्ताव मेरे भागिल करने का कश्ट करे। चौधारी फतेसिंह एक योग्य वकील थे, चेयरमैन थे। मैं चौधारी जगबीर सिंह मलिक और श्री नृपेन्द्र सिंह के प्रति अपनी संवदेना और उनके दुख मेरे भागिल होते हुए इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

श्री रामपाल माजरा (पाई): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता द्वारा रखे गए भाओक प्रस्ताव मे मै अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से भासिल होता हू। पिछले सत्र से लेकर आज तक के सत्र तक हिन्दुस्तान मे ही नहीं बल्कि दुनिया मे बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई उनके क्षति की पूर्ति तो नहीं हो पायेगी परन्तु यह दे । और यह प्रदे । सरदार हरमिन्द्र सिंह जैसे बहुत ही होनहार और जो अपने वक्तव्य देने मे निर्भीक और नापक सेवा के धनी थे महसुम हो गया क्योंकि वह आज हमारे बीच मे नहीं है। इस कुर्सी पर बैठकर अपनी आवाज बुलान्द किया करते थे आज हरियाणा की सरकार मे उन जैसा ईमानदार न मंत्री है न विधायक है उनका अपना ही रूतवा अलग था। मै अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से सरदार हरमिन्द्र सिंह के भाओकग्रस्त परिवार को श्रद्धाजलि अर्पित करता हू और परम पिता से इस भाओकग्रस्त परिवार को यह सदमा बर्दा त करने की प्रार्थना करता हू। इसके साथ ही श्री अतर सिंह जैसे जिम्मेवार आदमी जो इस सदन मे जनता की आवाज उठाते थे हम से अब जुदा हो गये उनके लख्ते जिग्र आज हमारे बीच मे है। आज उनके द्वारा ही हम उनके कामो को आगे बढ़ाये यही हम सब की उनको सच्ची श्रद्धाजली होगी। श्री बीजू पटनायक जी जो उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे और जिन्होने आजादी की लड़ाई मे बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जिनकी वजह से हम आजाद हुए वे हम से जुदा हो गये। उनके भाओक प्रस्ताव मे भी मै अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से भासिल होता हू। इन जैसे बड़े नेता के इस दे । से जुदा होने से

यह दे । काबिल नेता से महसूम हो गया है उनको मैं श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूँ। सरदार आत्मा सिंह पजांब के भूतपूर्व मंत्री रहे तो पजांब के ही नहीं बल्कि हरियाणा के अन्दर भी उनकी समाज सेवा चलीं। आज हम से जुदा हो गये और इस दुनिया से चले गये आज हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उनको सच्ची श्रद्धाजंति अर्पित करते हैं।

श्री लेखराम ठाकुर, तत्कालीन पैप्सु विभाग सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष के हुए दुखद निधन पर यह सदन गहरा भावक प्रकट करता है। वे आजाद हिन्द फोज के सदस्य भी रहे। वह प्रजा मण्डल आन्दोलन के संस्थापकों में से एक थे। आज वह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके निधन से दे । एक योग्य प्रासक, अनुभवी विधायक और एक प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से विचित हो गया है यह सदन दिवंगत के भावक सतत्म परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री के०एस०पाठक, सिचाई विभाग, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता के हुए दुखद निधन पर यह सदन गहरा भावक प्रकट करता है। वे एक महान विभूति थे जिनको राज्य के प्रति समर्पित सेवाओं के लिए पदमश्री से अंलकृत किया गया। उनके चले जाने से इस सदन को बड़ा भारी आघात लगा है।

मास्टर हरि सिंह, सयुक्त पजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के निधन पर यह सदन गहरा भाषक प्रकट करता है। उनके निधन से दे । एक योग्य विधायक और एक महान स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से चित हो गया है। यह सदन दिंवगत के भाषक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

कामरेड बचन सिंह, सयुक्त पजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के निधन पर यह सदन गहरा भाषक प्रकट करता है। उन्हे 1972 मे ताम्र पत्र से विभूषित किया गया। इस प्रकार एक महान हस्ती के हमारे बीच मे से चले जाने पर उनकी सेवओं से यह दे । चित हो गया है। यह सदन दिंवगत के भाषक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है तथा प्रार्थना करता है कि भगवान उनके परिवार को इस हादसे को बर्दा त करने की भावित प्रदान करे।

श्री एस०पी० सिंह, वरिश्ठ पत्रकार एवम दूरदर्शिन कार्यक्रमों के प्रख्यात के निधन पर यह सदन गहरा भाषक प्रकट करता है। उन्होने नवभातर टाइम्स, माधुरी पत्रिका, धर्मयुग, आनन्द बाजार, रविवार, इंडिया टू डे, इत्यादि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस दे । को नई दि ॥ प्रदान की। वे एक सजग प्रहरी थे। आज उनके असामयिक निधन से यह दे । उनकी सेवओं से चित हो गया है।

इसके साथ ही, मध्यप्रदे ं मे जबलपुर से आये भूकम्प से मरने वाले लोगो के दुखत व असामिक निधन पर यह सदन गहरा भांक प्रकट करता है। मक्का के नजदीक मीना मे भीशण आग से मरने वाले श्रद्धालुओ के दुखत निधन पर हमारी पार्टी व सदन गहरा भांक प्रकट करते है। पठानकोट मे दो बसो और भटिडा के निकट एक यात्री रेलगाड़ी मे हुए बम विस्फोट मे मरने वाले लोगो के दुखद निधन पर यह सदन व हमारी पार्टी गहरा भांक प्रकट करते है। दक्षिणी दिल्ली के उपहार सिनेमा हाल मे भीशण आग और भगदड से मरने वाले लोगो के दुखद निधन पर भी यह सदन गहरा भांक प्रकट करता है तथा दिवगतो के भांक संतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी प्रकार से जिला पानीपत के भालसी गांव के निकट एक ट्रक की हरियाणा परिवहन की खड़ी बस से टक्कर हो जाने से मरने वाले यात्रियो के दुखत निधन पर भी हमारी पार्टी गहरा भांक प्रकट कतरी है। धन्यवाद।

श्रीमती करतार देवी (कलानौर, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है मै उसके समर्थन मे खड़ी हू। विधि का यह विधान है जो आया है, सो सब अब य जाएगा, चाहे वह राजा हो, रंक हो, बच्चा हो, या वृद्ध हो। यह तो केवल परमपिता को ही पता है कि किस व्यक्ति ने कब जाना है लेकिन एक दिन जाना सभी ने ही है। फिर भी इस

व्यावहारिक जगत मे जो विभिन्नियां समाज के बीच मे चली जाती है, उनके कार्यकलापो को याद करके ऐसा लगता है कि इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। इस प्रकार से उनकी अच्छाईयो को याद किया जाता है। सरदार हरमिन्द्र सिंह जी इसी सदन के सदस्य थे। वे मिनिस्टर भी थे और एक मिलनसार व ईमानदार व्यक्ति थे। वाकई उनके जीवन चरित्र से आज की पीढ़ी को काफी प्रेरणा मिल सकती है। मै उनके भाऊक सतप्त परिवार के प्रति अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करती हू। इसी प्रकार से, श्री अतर सिंह माढीवाला, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य जो कि हमारे साथ के इलको से थे, इस संसार से चले गए। वे एक ग्रेजुएट होते हुए भी बिल्कुल सीधी सादी आम भाशा मे बात करके आम लोगो के बीच मे काम करते थे। समाज मे उनकी बहुत अच्छी छवि रही। उनके चले जाने से भी समाज मे बहुत ज्यादा क्षति हुई है। मै अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनके परिवार के सदस्यो के प्रति और खास करके माननीय सदस्य श्री नृपेन्द्र सिंह जी के प्रति संवेदना प्रकट करती हू कि उनको परमपिता यह दुख सहने की भावित प्रदान करे। इसी तरह से हमारे माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक के पिता श्री फते सिंह जी जो हमारे बीच मे चले गए। वे हमारे पास के गोहाना मे एक प्रख्यात वकील थे। और समाज सेवी थे। उनके चले जाने से उस इलाके के लोगो को बहुत भारी नकसान हुआ है। मै अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनके परिवार के सदस्यो के प्रति और खास करके माननीय श्री जगबीर सिंह मलिक जी के

प्रति संवेदना प्रकट करती हू कि उनको परमपिता यह दुख सहने की भावित प्रदान करे। और उनके अपने पिरवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों निभाने की भावित प्रदान करे। श्री बीजू पटनायक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे समाज मे परिवर्तन की आव यकता को देखते हुए उसके परिणाम देखे बिना उसमे कुद जाते थे। स्पीकर साहब, मेरे से पूर्व वक्ताओ ने चर्चा की कि पड़ित जवाहर लाल नेहरू जी को पटनायक जी खुद पायलट बन कर गोआ ले कर आए थे। इंडोनेशिया मे जब महान क्राति आई तो उसक समय वहा के प्रधान सुकारनो को बचाने का अदम्य साहस किया। उनहोने श्री बीजू पटनायक के काम को बड़ा सराहा और इंडोनेशिया की सरकार ने पटनायक जी को वहा के सबसे बड़ी भूमि पुत्र के सम्मान से उनको सम्मानित किया। उनके चले जाने से हमे बहुत दुख है। सरदार आत्मा सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होने ज्वायट पजांब के अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। उनके चले जाने से भी हमे बड़ा दुख है। श्री लेख राम ठाकुर आजाद हिन्द फौज से संबंधित रहे। वह प्रजा मंडल आन्दोलन के संस्थापको मे से एक थे। उनके निधन से दे ॥ एक योग्य प्रासक, अनुभवी विधायक और एक प्रध्यात स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओ से वंचित हो गया है। हमे इसका बहुत भारी दुख है। इसी तरह से मास्टर हरि सिंह और कामरेड बचन सिंह जी के चले जाने से हमे बड़ा दुख है। उनके चले जाने से दे ॥ एक योग्य प्रासक, अनुभवी विधायक और एक प्रध्यात स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओ से वंचित हो गया है। इसी तरह से श्री

एस०पी० सिंह, वरिश्ठ पत्रकार एवम दूरदर्शि के क्षेत्र में ऐसी भूमिका रही है जिससे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति टी०वी० देखता है उसको ऐसा लगता है कि उनका अपना कोई संसार से चला गया है उनका कहानी को अभिव्यक्त करने का ऐसा तरीका था जिसका काफी लोग अनुसरण करते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वह अपने प्रोग्राम के लास्ट में यह कहते थे कि आज तक और इंतजार कीजिए कल तक। अब उनको संसार से चले जाने के बाद कल तक का इंतजार अब हमें आ के लिए इंतजार रह गया है। उनके चले जाने से हमें बड़ा दुख है। इसी तरह से देहरा में जो भिन्न भिन्न हादसे हुए हैं उनका हमें बड़ा दुख है। जब्बलपुर से आये भूकम्प से मरने वाले लोगों के दुखतव असामयिक निधन पर यह सदन गहरा भावक प्रकट करता है। मक्का के नजदीक मीना में भीशण आग से मरने वाले, पठानकोट में दो बसों और 8 जुलाई 1997 को भटिडा के निकट एक यात्री रेलगाड़ी में हुए बम विस्फोट में मरने वाले, उपहार सिनेमा हाल में भीशण आग और भगदड़ से मरने वाले और जिला पानीपत के भालसी गांव के निकट एक ट्रक की हरियाणा परिवहन की खड़ी बस से टक्कर हो जाने से मरने वाले यात्रियों के प्रति मैं अपनी तरफ से और काग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उनको परमपिता यह दुख सहने की भावित प्रदान करे। इन भावों के साथ मैं सदन से यह प्रार्थना करती हूँ कि कुछ ऐसी घटनाएँ हैं

जिनको बहुत ज्यादा जिम्मेवार से देखने की आव यकता है ताकि ऐसी घटनाओ की पुनरावृति न हो ।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, श्री देवीदयाल नन्हां कुरुक्षेत्र के एक बहुत बड़े विद्वान और सधर्श फील पत्रकार थे । उनके निधन से पत्रकारिता जगत को बहुत नुकसान हुआ है । उनके निधन से उनके परिवार को जो हानि हुई है उस पर मै भांक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हू । और माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारि । करता हू कि चौधारी फतेह सिंह और श्री देवीदयाल नन्हां का नाम भी इन भांक प्रस्तावो की सूची मे भामिल कर दिया जाये ।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, इन दोनो नामो को भी इस प्रस्ताव मे भामिल कर लिया जाये ।

श्री रण्दीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों पजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस श्री जे०एस० बेदी जी का भी निधन हो गया । मै सदन मे नेता से गुजारि । करता हू कि इन भांक प्रस्तावो की सूची मे इनका नाम भी भामिल कर लिया जाये ।

श्री बसी लाल: अध्यक्ष महोदय, इनका नाम भी भामिल कर लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण जिन दिंवगत आत्माओ के बारे मे विभिन्न पार्टियो के नेताओ ने अपने विचार व्यक्त किए

है, उनमे मैं भी अपने आपको भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूँ।

सरदार हरमिन्द्र सिंह जी जो इसी सदन के माननीय सदस्य थे और हरियाणा सरकार के मंत्री थे, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा प्रभाव गाली था। वे लोगों के बीच मेरे रहने वाले इंसान थे। उन्होंने हमें आ ही अपने इलाके की समस्याओं को प्रमुखता से समझा और उनका हल निकालने की कोटि टा करते हुए इसी कारण वे बड़े लोकप्रिय नेता थे। ऐसे महान नेता के हमारे बीच मेरे चले जाने से हमें क्षति पहुंची है। मैं परम पिता से प्रार्थना करता हूँ। कि उनके भाऊक संतप्त परिवार को इस महान क्षति को सहन करने की भावित दे और उनकी आत्मा को भास्ति दे।

श्री अवतार सिंह माढीवाला इस सदन के भी सदस्य रहे हैं और पेपसू विधान सभा मेरी भी 1952 एंवम् 1957 मेरी विधायक रहे। वे 1952–53 के दौरान मंत्री रहे। उन्होंने मेरे ही विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। मेरा उनके साथ 40 वर्षों से व्यक्तिगत संबंध रहा है। वे कोई भी बात जो सही और चाहे कितनी ही कड़वी हो करने से पीछे नहीं हटते थे। यानि वे अपनी बात स्पष्ट भाब्दों से कह देते थे। चाहे कितनी ही कड़वी हो करने से पीछे नहीं हटते थे। यानी से अपनी बात स्पष्ट भाब्दों से कह देते थे। भायद 1952 मेरे पेपसू मेरी जब विधायक चुने गए तो सबसे कम उमर के वे सदस्य उस वक्त के थे। उन्होंने चन्द महीने मंत्री के रूप मेरी काम किया था। उस दौरान उन्होंने एक अपनी

अमिट छाप छोड़ी। यही कारण रहा कि वे 1957 में फिर विधायक चुने गए। इसी प्रकार से 1991 में भी वे विधायक चुने गए थे। उनमें एक खूबी थी कि उनके चुनावों में उनके दोस्तों और मतदाताओं के हकों के लिए लड़ते रहे। मुझे उनके निधन से व्यक्तिगत क्षति हुई है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जब वे 10वीं कक्षा के विधार्थी थे तो उस वक्त उन्होंने प्रजामंडल मुवमेंट में भी काम किया था। वे एक महान संघर्षी थे और ईमानदार नेता थे। उनके निधन से जो समाज को ओर उनके परिवार को क्षति हुई है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। उनके सुपुत्र श्री नृपेन्द्र सिंह जो इस समय इस सदन के माननीय सदस्य है मैं उनके माध्यम से उस भांक संतप्त परिवार के प्रति सर्वेदना प्रकट करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। कि वे ऐसे महान व्यक्ति को अपनी भारण दे।

श्री बीजू पटनायक ने सिर्फ उड़ीसा के ही नेता थे बल्कि वे समस्त भारत के उन महान नेताओं में से थे जिनके बारे में यह कहा जा सकता है है कि he was the son of the soil. उन्होंने अपना जीवन एक पायलट के रूप में आरम्भ किया। इसके बाद वे राजनीति में आये। वे एक अच्छे कुल पायलट थे। जिस प्रकार से एक अच्छे पायलट थे उसी प्रकार से वे राजनीति में भी एक अच्छे राजनेता थे। इसी कारण वे पायलट से मुख्यमंत्री बने और केन्द्र में मंत्री बन कर विभिन्न पदों पर काम किया। वे एक बड़े अच्छे ऐडमिनिस्ट्रटर थे। वे एक महान और निडर नेता के रूप

मे जाने जाते हैं। उनके चले जाने से दे १ को बहुत हानि हुई है। सरदार आत्मा सिंह पंजाब के भूतपूर्व मंत्री और पैप्सू के समय मे पहली बार मैम्बर चुने गए थे। उनके निधन मे भी बड़ा आघात पहुचा है। श्री लेख राम ठाकुर जो पैप्सू विधान सभा के उपाध्यक्ष थे। उस समय चौधरी अंतर सिंह माढीवाला पहली बार एम०एल०ए० बन कर आए थे, उकने निधन से भी बहुत आघात पहुचा है। श्री के०एस० पाठक का नाम हरियाणा प्रदे १ मे चिरस्मणीय रहेगा। खासतौर से उनका नाम इसलिए चिरस्मणीय रहेगा कि जिन दिनो मे खेतो की सिचाई के लिए पानी की बात तो दूर उस समय जिन इलको मे पीने तक का पानी उपलब्ध नही होता था उस समय के मुख्यमंत्री तथा वर्तमान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मे लिफट इरीगे १न सिस्टम का काम करके, उन इलाको मे पानी पहुचाने का महत्वपूर्ण काम किया। वे बहुत ही कु ल इन्जीनियर और निश्ठावान व्यक्ति थे। उनके चले जाने से सारे हरियाणा प्रदे १ को भारी आघात पहुचा है। मास्टर हरि सिंह जी सयुक्त पजांब के सयम मे एम०एल०ए० थे उनके निधन से भी हमे भारी आघात पहुचा है। हमारे इसी सदन मे माननीय सदस्य चौधरी जगबीर सिह मलिक के पूजनीय पिता श्री फतेह सिंह जी का निधन हो गया है जिससे प्रदे १ को गहरा आघात पहुचा है। चौधरी फतेह सिंह का अपने इलाके की जनता मे बहुत ही अधिक रसूख था। मुझे जब भी गोहाना जाने का मौका मिला तो लोगो को सुनने को मिला कि चौधरी जगबीर सिंह मलिक की चुनाव मे जीत तो उनके पिता जी ने पहले ही पक्की कर दी है। इस प्रकार उनकी यह सीट

उनको उनके पूजनीय पिता जी का ही देन है। वे लोगों की समस्याओं के प्रति हमें आ जागरूक रहा करते थे। इस सदन के माननीय सदस्य चौधरी जगबीर सिंह मलिक के पूजनीय पिता जी के निधन से हमें भारी आघात पहुंचा है। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की भावित प्रदान करे। पत्रकारिता के जगत में श्री एस०पी० सिंह का नाम हमें आ चिरस्मणीय रहेगा। जंहा वे एक कुल पत्रकार थे वही उन्होंने देश और समाज की बेहतरी के लिए कार्य किया। देश, समाज और गरीब वर्ग की समस्याओं को उन्होंने उठाया तथा दूरदृश्य पर हिन्दी को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। इसी प्रकार से मई, 1997 में मध्यप्रदेश जबलपुर में आये भुकम्प से मरने वाले लोगों तथा 15 अप्रैल 1997 को मकान के नजदीक मीना में हुई दुर्घटना में मरने वाले लोगों तथा पाठनकोट और भटिडा के निकट हुए बमकाण्डों में लोगों के दुखद निधन पर मैं संवेदना प्रकट करता हूँ तथा परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी दिवंगतों आत्माओं के प्रति हाउस में खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण कर इन दिवंगतों आत्माओं की भासि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करे।

(इस समय हाउस के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धाजलि अर्पित की।

तारकित प्र ान एवम उत्तर

Draining out the waste water of village Kheri Sampla

***256 Shri Balwant Singh:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to drain out the waste water of village Kheri Sampla (Rohtak) across the market committee road, alongside the kharkhoda Road?

Development Minister (Shri Kanwal Singh) Yes, Sir.

श्री बलवन्त सिंह: स्पीकर साहब, आज बहुत ही अच्छी बात हुई है कि सदन मे पहले प्र ान का उत्तर हां मे मिला है। मंत्री जी यह बताए कि इन नाले पर कितना खर्च आएगा और यह कब तक बनकर पूरा हो जाएगा?

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, इस नाले के तीन पार्ट्स है। इसमे 300 फूट का टुकड़ा तो बन चुकबा है जो कि रैस्ट हाउस के साथ है। दूसरा टुकड़ा 1100 फुट का है जिसके बारे मे मार्किट कमेटी सांपला ने दो लाख रुपये का प्रावधान रखा हुआ है लेकिन इस बारे मे हरियाणा कृषि विषयन बोर्ड की तरफ से कोई आपति है हमारी तरफ से कोई बात नहीं है। तीसरा यह जो टुकड़ा है इस पर 2 लाख 66 हजार रुपये खर्चा आएगा। इस बारे मे पब्लिक हैल्थ ने देखा था और उन्होंने उसमे कोई त्रुटि देखी है उसको हम जल्दी पूरा कर देगे।

श्री बलवन्तः स्पीकर साहब, मैं मत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इसको कम्पलीट करने के लिए कोई समय निर्धारित करे।

श्री कवल सिंहः सर, जो रैस्ट हाउस से जोहड़ तक का टुकड़ा है उन पर दो तीन महीन में काम भुरु कर देगे और उस काम को हम जल्दी पूरा करवाने की कोटि १ करेगे।

श्री बलवन्त सिंहः इस पर टोटल कितना खर्च आएगा।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, हम 50 हजार खर्च कर चुके हैं। 2 लाख का खर्च दूसरे टुकडे पर 2 लाख 66 हजार रुपये तीसरे टुकडे पर खर्चा आएगा। कुला मिलकार 4 लाख 66 हजार रुपये का और खर्चा होगा ऐसा हमार एस्टीमैट है।

श्री बलवन्त सिंहः स्पीकर साहब, जोहड़ से रेलवे लाईन तक नाला बनाने का प्रपोजल है तो क्या उसके पानी को आग खुला ही छोड़ दिया जाएगा या वहां पर कोई टैक बनाने की योजना है?

श्री कंवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी कोई योजना नहीं है। ये इस बारे मे हमें बता दे तो हम इसको देखा लेंगे।

श्री बलवत सिंहः स्पीकर साहब, यह जो नाला इन्होंने बनाया है जिस पर ये बता रहे हैं कि 50 हजार रुपये खर्च किये हैं। यह नाला न बना हुआ होने के लायक है। वहां पर इतनी

गन्दगी है कि उस रैस्ट हाउस मे जाया नहीं जाता है, बहुत बदबू वहा पर आती है। इस बारे मे मंत्री जी वहा जाकर देख ले।

श्री कंवल सिंह: इनकी यह समस्या हम देख लेगे। वैसे आज जो स्थिति वहां पर है और जो हमारे पास वहा की रिपोर्ट है उसके मुतबिक वहा बहुत बड़ा जोहड़ है और वहा सारा पानी ले सकता है।

कैप्टन अजय सिह: अध्यक्ष महोदय, आज बहुत सारे गावो मे जो कि स्टेट हाईवे एवम ने अनल हाईवे पर पड़ते हैं की सड़के पर बहुत खराब पानी आ जाता है। धारूहेड़ा और नंदरामपुर वास ऐसे ही गांव हैं वहा पर बहुत ज्यादा पानी सड़को पर चलता रहता हैं। क्या सरकार ऐसी जगहो पर कोई ड्रेन बनाने का विचार रखती है?

श्री कवल सिंह: अध्यक्ष महोदय, गावो मे पानी की निकासी का जो मामला है वह किसी सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि यह समस्या तो व्यापक रूप से सारे स्टेट मे ही है। इस काम को करने के लिए दो हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा का खर्च होगा इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम यह रिसोर्सिज की उपलब्धा को देखकर ही करेगे।

Construction of Judicial Complex Building at Ambala Cantt.

***276, Shri Anil Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Judicial Complex building at Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

Chief Minister Shri Bansi Lal:

(a) Yes Sir, suitable land is to be identified for construction of Judicial Complex building at Ambala Cantt.

(b) After the land is identified/earmarked, further action will be taken regarding construction of Judicial Complex at Ambala Cantt. At this stage, commitment regarding the time by which it is likely to be completed, cannot be given.

श्री अनिल विज़: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने अम्बाला छावनी मेरे जुड़ियल कम्प्लैक्स बनाने के लिए हां मेरे उत्तर दिया है उसके लिए मैं उनका अपने विधान सभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, उत्तर मेरे कहा गया है कि इसके लिए सुटेबल लैड आईडैटीफाई की जाएगी। सर, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही यह काम कर लिया जाएगा। लेनिक मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अम्बाला छावनी मेरे कर्चहरियां लगभग पिछले सौ वर्षों से चल रही है लेनिक एंटी रिजर्वेशन मूवमैट मेरे उसकी क्षति हो गयी थी। उसके बाद उनको अम्बाला छावनी से अम्बाला भाहर सीनांतरित कर दिया गया है जिसके कारण वहां के लोगों के अपने छोटे छोटे केसिज के लिए अम्बाला भाहर जाना पड़ता है। मैं आपके

द्वारा मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूगा कि जब तक वहां पर नया जुड़ि आयल कम्पलैक्स के लिए लैंड आईडैटफाई नहीं की जाती या जब तक वहां नया कम्पलैक्स नहीं बन जाता तक तक क्या सरकार अम्बाला छावनी में ही किसी सरकारी आवास में उस कचहरी को स्थानांतरित करने पर विचार करेगे?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बिल्कुल सही है कि लोगों को वहां पर तकलीफ है। हम इसके लिए आईडैटीफाई कर रहे हैं लेनिक जब तक यह जगह आईडैटीफाई न हो तक तक हम दूसरों मकान भी इसके लिए तला ट रहे हैं। यदि माननीय सदस्य भी इसके लिए कोई मकान तला टने में हमारी सहायता करे तो हम उस मकान को किराए पर लेकर वहां अदालते चलाने के लिए तैयार हैं। वैसे तीन जगह हमने इसके लिए देखी हैं। ये हैं बी0डी0 हाई स्कूल, रैन्ट हाउस के पास सुपर बाजार की बिल्डिंग और बगलार न0 23ए की बिलिंग जिसमें यह कोर्ट्स 1989 में मंडल आन्दोलन से पहले काम कर रही थी और उसी समय मंडल कमी टन के मूवमैन्ट में इसको जला दिया गया था। इसी जगह पर ये कोर्ट्स जाने के ज्यादा चासिंज हैं। लेकिन अगर हमें कोई और भी किराया पर मकान मिल जाता है तो हम उस मकान में भी तब तक ये कोर्ट्स चलाने के लिए तैयार हैं। आनरेबल मैम्बर्ज या फकीर चंद जी भी इस काम में हमारी सहायता कर सकते हैं।

श्री अनिल विंजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि अम्बाला छावनी में जुड़ि आयल कम्पलैक्स के लिए जगह तो उपलब्ध करवायी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में आदें देंगे। मुझे पूरा विवास है कि भीघ्र ही हम इसके लिए वहां कोई जगह ढूँढ़ लेने और भीघ्र ही यह कचहरिंया अम्बाला छावनी में स्थानांतरित हो जाएगी।

श्री बसी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं अधिकारियों को आदें दूँगा कि वे इसके लिए कोई ऐसी जगह तला ठंकरें जहां पर अदालते चलायी जा सके। मैं आनरेबल मैम्बर्ज से भी रिक्वैस्ट करूँगा कि ये इस काम में हमारी सहायता करें।

श्री निर्मल सिहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जिस बंगला का इन्होंने अभी जिकर किया है कि वहां पर पुरानी अदालते चला करती थी और अब फिर वह इनको ले जाने का विचार है। लेनिक उस बिल्डिंग पर तो एक अधिकारी यानी सैक्रेटरी, आर0टी0ए0 ने कब्जा कर लिया है। सैक्रेटरी, आर0टी0ए0 ने उस बिल्डिंग को खरीद लिया और बतौर सैक्रेटरी, आर0टी0ए0 वहां वहां फाफूट भी कर गया। इसके उस दफतर को बाद में वहां से वैकेट करा दिया। आप चाहे तो इस बात को चैक भी कर सकते हैं।

श्री बसी लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी कोई बात सैक्रेटरी, आरटीएओ अपने आप उस मकान पर कब्जा कर गया तो इसकी हम इकवायरी करवा देंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से जानना चाहूँगा कि रिवाड़ी, कैथल, पानीपत और यमुनानगर नये जिले बने थे लेकिन वहां जुड़ी टायल कम्पलैक्स नहीं बन पाए हैं। क्या उनके बारे में कोई प्रौग्णेस है जुड़ी टायल काम्पलैक्स न होने की वजह से रिवाड़ी के लोगों को नारनौल जाना पड़ता है और कैथल के लोगों को पिहोवा जाना पड़ता है यहा यदि नये जुड़ी टायल कम्पलैक्स बन जाए तो लोगों को काफी सुविधा होगी।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी में तो अदालते काम कर ही है और जैसे ही फंड हमारे पास आएंगे नये कम्पलैक्स भी बना दैंगें। कैथल में आलरेडी अंदर कंस्ट्रक्टर न है इसके अलावा जहां जहां की हमारे सामने बात आएंगी हम जुड़ी टायल को प्रैफरेंस देंगे।

श्री कृष्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि पानीपत के अंदर जुड़ी टायल कम्पलैक्स बनाने के लिस सरकार ने क्या किसी जमीन का चयन किया है यदि हा, तो वह कितने एकड़ जमीन है और कब तक वहां कम्पलैक्स बना दिया जाएगा?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, पानीपत मे जुड़ी तायल कम्पलैक्स जल्दी ही बनाना चाहते है लेकिन पिछली सरकार के मुख्यमंत्री जी ने एक जमीन पर सैक्रेटरिएट का फाउडे न स्थोन रख दिया जो कि डिफैस की जमीन है और वह जमीन अभी तक हमको ट्रासफर नही हुई है। तो पहली कोर्ट तो हमारी यह है कि वह जमीन हम डिफैस से ले अगर वह जगह न मिली तो पानीपत से समालखा कि तरफ तक एक जगह है वह बनाएगे।

Providing of Drinking Water

***375. Dr. Virender Pal Ahalwat:** Will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether it is fact that there is an acute shortage of drinking water in village Bisan, Siwana and Khatiwash; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government of provide drinking water to the above said village?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगननाथ):

(क) जी नही।

(ख) उक्त “क” के दृष्टिगत किसी कार्यवाही की आव यकता नही।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावत: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से जनस्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूगा कि इन तीन

गावो के अंदर पीने के पानी की गंभीर समस्या है फिर भी इनका जवाब है कि जी नहीं तो क्या मंत्री जी बता पाएगे कि यहा कितने पानी की कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से आपूर्ति की जा रही है?

श्री जगननाथ: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से तीन गावो बिसान, सिवान और खातीवास के बारे में पूछा है और इन गावो में पानी की ऐक्यूट भार्टेज है हमारे उत्तर में अनुसार यह है कि बिसान गांव के अंदर गोछी गांव से पानी जाती है जो कि 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से है। सिवान गांव के अंदर ही वाटर वर्क्स है और 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी की आपूर्ति है। ज़ंहा तक खातीवास की बात है वहां खड़ी कुम्हार से पानी जाता है जो कि 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है और ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पानी नहीं है।

श्री रामपाल माजरा: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूरे प्रदे 1 मैं पीने के पानी की समस्या कितने गावो में है और उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री जगननाथ: सर, ऐसा है कि हरियाणा मे अब 19 जिले हैं इन जिलों मे से 6 जिलो सिरसा, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, रोहतक और अब झज्जर और फतेहबाद मे ज्यादा पानी देने की कोटि 1 की जा रही है 40 लीटर के

बजाया वहां 70 लीटर पानी पहुंचाने की कोर्ट त की जा रही है। क्योंकि यहा जमीन से ज्यादा खारा पानी है और पीने के लिए व पुओं के लिए भी पानी नहीं है।

15.00 बजे

मान्यवर, सारे हरियाणा मे 6745 गांव है और हमारी सरकार की यह नीति है कि हर गांव मे 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी पहुंचाया जाये। उनमे कुछ 1087 गांव ऐसे हैं जिनमे 20 और 40 लीटर के बीच प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी पहुंच रहा है। सरकार की नीति यह है कि सन् 1998—99 तक सभी गावों मे 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पानी पहुंचाया जाये।

श्री बलबीर सिह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कि मंत्री जी जंहा 40 लीटर पानी देने की बात कर रहे हैं परन्तु हमारे गावों मे कुछ गांव ऐसे हैं जिनमे एक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भी पानी नहीं पहुंच रहा है। भैणी भैरो गांव मे पानी को कोई समाधान नहीं है। पीने के लिए पानी तो अवश्य चाहिए चाहे खेतों के लिए पानी आप न दे।

श्री जगन नाथ: अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गावों मे स्कीम ऐसी होती है कि दो दो गांवों मे एक ही लाइन से पानी की सप्लाई की जाती है। कभी अगर लाइन टूट जाये तो दिक्कत आ जाती है या कई बार रजबाहो की सफाई न

होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता परन्तु अब रजबाहो की सफाई करने के बाद टेल तक पानी पहुंचने लगा है। पिछले सै अन मे श्री बलबीर सिंह जी ने भैणी गांव का जिकर किया था परन्तु बाद मे इन्होने स्वीकार किया था कि सरकार का जवाब सही है। फिर भी जिस गांव मे पानी नहीं पहुंचता है उस गांव को दूसरे गांव की सप्लाई के साथ जोड़कर हम पानी प्रबन्ध जरूर करेगे।

श्री जसविन्द्र सिंह सधु: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब मे कहा है कि सरकार हरियाणा की जनता के दो साल के अन्दर अन्दर पीने का पानी उपलब्ध करवा देगी। मै आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरी अपनी कास्टीच्यूसी मे एक गुमथलागुडू गांव है। उसमे तीन पचायते हैं जिनमे दो पचायते डेरा फतेह सिंह आज से तीस साल पहले अलहदा हो गई थी और दूसरी पंचायत डेरा मदनपुर आज से 12–13 साल पहले अलहदा हुई है। इन तीनो पचायतो मे कई कई हजार की आबादी है। गांव गुमथलागुडू मे तो पीने के पानी की प्रौपर सुविधा है लेकिन जो दो पचायते अलहदा हुई है उनमे पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ एक गावं को ही मौजा मानकर यह मान लिया जाता है कि तीनो पचायतो को पीने के पानी की सुविधा दे दी गई है। मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन दो अलहदा पंचायतो को भी पीने के पानी की सुविधा देने के बारे मे विचार कर रहे हैं?

श्री जगननाथः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि सारे हरियाणा मे 1087 गांव ऐसे हैं जहां 20–40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से कम पानी मिलता है। वह सब इस साल मे पूरा हो जायेगा। इस प्रकार की दिक्कत तब आती है जब रजबाहा टूट जाये, बिजली की खराबी हो जाये या वाटर वर्क्स की सप्लाई फेल हो जाये। जैसा कि मई जून के महीने मे बिजली न आने से फरीदाबाद गुडगांव और भिवानी मे काफी दिनों तक पानी की दिक्कत रही। हमारी कोटि 1 यह है कि हर गांव मे पानी की समस्या को हल किया जाये।

श्री सूरजमलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपमे माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हू कि मेरे हल्के मे कई गांव इस किस्म के हैं जै कि मदीनपुर, मलिकपुर, गोपालपुर इत्यादी, जंहा पर पब्लिक हैल्थ के ट्यूबवैल्ज वगैरहा तो लगे हुए हैं वहा पर सारा काम तो तैयार है लेकिन वह बिल्कुल भी चालू नहीं हुए हैं। इससे लोगो को पानी की बड़ी भारी तकलीफ उठानी पड़ रही है। पानी का स्तर वहा पर इतना गहरा हो चुका हैं कि नलके वगैरहा भी अब काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूगा कि जो ट्यूबवैल्ज तैयार हैं कम से कम उनको तो चालू करवा दिया जाए ताकि वहा के लोगो को पानी की समस्या न होने पाए।

श्री जगननाथः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे नोटिस मे अपने हल्के की जो भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, ला देगे तो हम उनका समाधान कर देगे।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि अभी मंत्री जी ने अपने जवाब मे बताया है कि उन 6 जिलो मे फतेहबाद व झज्जर भी जोड़ दिया गया जंहा पर प्रति व्यक्ति पानी की कैपेसिटी 40 लीटर से 70 लीटर करने जा रहे हैं। मै मंत्री जी य जानना चाहता हू कि वह यह क्या कर रहे हैं? वह यह क्या कदम उठाने जा रहे हैं? (विधन) अध्यक्ष महोदय, इस संबंध मे दो बाते होती हैं। एक तो जंहा पर वाटर वर्क्स बन हुए हैं, उन गांवो की "फिरनी" के अदंर पानी के पाईप लगे होते हैं। पहले तो वह 10-12 ही थे। उसके बाद, 200,250 व 300 तक भी हो गए। यह पाईप सारे हरियाणा मे लगे हुए हैं। मै यह पूछना चाहता हू कि क्या वे ये पाईप्स बदलकर पानी की कैपेसिटी 70 लीटर करने जा रहे हैं या नए वाटर वर्क्स बनाकर के वे इस कैपेसिटी का पानी देगे? अगर ऐसा है तो मै मंत्री जी से यह पूछना चाहता हू कि उन्होने कितने वाटर वर्क्स चालू किए हैं या कितने गांवो मे पाईप बदलकर पानी पहुचाया गया है?

श्री जगननाथः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय सदस्य को बताना चाहता हू जैसे कि उन्होने पूछा कि क्या करने जा रहे हैं, क्या कदम उठाने जा रहे हैं। हम लोगो को साफ सुथरा पानी

पिला रहे हैं। आप अगर ऐलानाबाद या रानिंया कि बात पूछगे कि वहां पर कितनी ईटे लगा रहे हैं या वहां पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं इत्यादि इन्हें विस्तार से प्रश्नों का उत्तर देना सभव नहीं है।

डा० वीरेन्द्र सिंह अहलावतः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कर रहे हैं कि वे जनता को साफ सुथरा पानी देंगे। लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर कितने पानी के लीगल प्वाएंटस हैं और कितने इल लीगल प्वाएंटस हैं। क्या कभी सरकार ने इन प्वाएंटस को चैक कराया है? हर गांव में पानी की पाईप्स को तोड़कर अपनी मर्जी से लगा ली जाती है तथा कहीं पर पाईपे इस प्रक्रिया में लीक करने लग जाती है जिससे कि गंदा पानी सप्लाई होता है तथा बिमारी वगैरहा फेलने का खतरा बना रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी व्यक्ति के इस प्रकार के नाजायज कनैक न रखने के सदर्भ में सरकार ने कोई एक न लिया है? दूसरी बात यह है कि जो मंत्री महोदय ने अभी जवाब से बताया है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए, सदन में तथ्यों पर आधारित बात ही कहनी चाहिए वरना पाप के भागी बनेंगे।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछिए।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावतः स्पीकर सर, मेरा प्रान तो यह है कि पानी के कितने कनैक ान ऐसे हैं जो कि नायायज तौर पर लिए गए हैं?

श्री जगननाथः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि डा० वीरेन्द्र पाल जी ने पूछा है कि कितने नायायज कनैक ान लिए हुए हैं तथा कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यह कोटि ा की जाएगी कि हर मोहल्ले व गांव के अंदर पानी खाराब व बर्बाद न होने पाए। इसके अतिरिक्त घरों के अंदर भी पानी के कनैक ान देने की कोटि ा की जा रही है। इसके साथ ही साथ यह भी कोटि ा की जा रही है कि आने वाले समय में, जो लोग नायायज तौर पर डायरैक्ट की जा सकती हैं लेकिन अभी तक लोगों को इस मामले में थोड़ी ढील दी गई है क्योंकि लोगों को हम पीने के लिए भुद्ध पानी दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने जिन तीन गावों के बारे में पूछा है उनके बारे में मैंने जवाब दे दिया है। बीसान गांव में 30 लीटर प्रति दिन व्यक्ति के हिसाब से पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है और सीबाना और खातीवास में 40 लीटर प्रतिदिन व्यक्ति के हिसाब से पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। इन्होंने जायज और नायायज टूटियों के बारे में जो पूछा है उसके बारे में मैं इस समय ऑफ हैंड कुछ नहीं बता सकता।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावतः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्षः कृपया आप बैठ जाएं।

डा० रणदीप सिंह सुररेवाला: स्पीकर साहब, पूर्व काग्रे स पार्टी की सरकार ने एक स्कीम चलाई थी कि जो 10 हजार की आबादी के बडे गांव है उनको पीने के पानी के घरों मे कनैक टन दिए जाएंगे। क्या सरकार के विचारधीन ऐसी कोई स्कीम है जिसके तहत 10 हजार तक की आबादी के गांवों मे पीने के पानी के घरों मे कनैक टन दिए जाएंगे। इसके साथ मै यह भी जानना चाहता हू कि क्या मौजूदा सरकार के पीने के पानी का कनैक टन देने का काम भुर्स करके सारे हरियाणा प्रदे ट के सभी छोटे और बडे गावों के घर घर मे पीने का पानी का कनैक टन देने की कोई योजना बनाई है, अगर बनाई है तो वह योजना कितने समय तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

श्री जगननाथः स्पीकर साहब, जिन 8 जिलों के गावो मे 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन सप्लाई किया जा रहा है उन गावो मे घर घर मे पीने का पानी का कनैक टन दैगे और जो छोटी छोटी ढाणिया है उनके बारे मे भी सोचा जा सकता है लेकिन इस बारे मे टाईम बांउड यह नही कहा जा सकता कि यह काम इतने समय मे कर दिया जाएगा। हमारे पास ज्यो ज्यों पैसे का प्रावधना होकर होता जाएगा हम यह काम करते जाएंगे।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने कहा कि बडे बडे गावो मे 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी सप्लाई

किया जाएगा उसके बाद घर घर मे पीने के पानी का कनैक अन दिया जाएगा। लेकिन इस समय पीने के पानी की सप्लाई के लिए जो पाईपे बिछाई हुई है उनकी 70 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति पानी की कैपेसिटी नहीं है तो फिर ये इतना पानी कैसे सप्लाई कर पाएगे।

श्री जगननाथः स्पीकर साहब, जहां पर 70 लीटर पानी उपलब्ध हो जाएगा वहां पर हम पाइपो को भी हिसाब से बदल देगे।

श्री रामफल कुण्डुः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जीद जिले मे ऐसे कितने गांव हैं जिनमे 70 लीटर पानी की प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा सकता है।

श्री जगननाथः स्पीकर साहब, इसके लिए अलग से नोटिस दे दे इनको बता देगे।

प्रिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा)ः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन तीन गावो के बारे मे सवाल पूछा था उनके बारे मे मंत्री जी ने बड़ा साफ सुथरा जवाब दे दिया कि हम हरियाणा प्रदे 1 के लोगो को बड़ा साफ सुथरा पानी पिला रहे हैं लेकिन इनको इस बात की तकलीफ हो रही है।

श्री देवदत दीवानः अध्यक्ष महोदय, अगर हरियाणा प्रदे 1 मे पीने का पानी सबसे ज्यादा कम सप्लाई हो रहा है तो वह सोनीपत मे हो रहा है। सोनीपत मे पांच लीटर प्रति व्यक्ति

प्रति दिन भी पानी नहीं मिल रहा है। आज से दसियों साल पहले सोनीपत मे कैनाल बेस्ड पीने के पानी की स्कीम बनी थी लेनिक वह स्कीम ठण्डे बस्ते मे ही पड़े है। मुख्यमंत्री जी 6 तारीख को पौने पाच करोड़ की उस स्कीम के बारे मे अनाउंमैट करके आए थे कि उसका काम जल्दी ही भुरु छो जाएगा। मंत्री जी बताए कि उस स्कीम का काम कब तक भुरु करवा दिया जाएगा।

श्री जगन नाथ: सर, ऐसी बात नहीं है कि वहां पर 5 लीटर भी पानी एक व्यक्ति को न मिले रहा हो। सोनीपत जिले को हमे आ पानी मिलता रहा है। जहां तक सी एम साहब की धोशण का संबंध है उस पर जल्दी से जल्दी अमल होगा।

श्री बलंवत् सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने सवाल के जवाब मे बताया है कि हम गावो मे 40 लीटर से लेकर 70 लीटर तक प्रति दिन प्रति व्यक्ति पानी दे रहे है, यह जहां पर यह सुविधा नहीं है वहां पर भी इतना ही पानी उपलब्ध करवाया जायेगा। जो बड़े बड़े गांव है उनकी आबादी किसी की 1 हजार घरो की है किसी की 2 हजार घरो की है। उन सभी को पानी नहीं मिल पाता जैसे मेरे हल्के मे करता, पाकसमा या दूसरे जो बड़े गांव है उनकी दो हजार घरो से अधिक की आबादी है वहां पर उन लोगो को 40 से 70 लीटर तक पानी नहीं मिल रहा।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री जगन नाथ: हमारी कोटि तो हर जगह तक पानी पहुंचाने की है। अब कुछ लोगों के बीच में नलके लगा लिए हैं जिससे पूरा पानी आगे तक नहीं जा पाता जहां हमने 5 नलके लगाये हुए थे वहां पर लोगों ने एनअथोराईज्ज ढंग से 15–20 और लगा लिए हैं जिस कारण यह दिक्कत आई है। अगर की दिक्कत है तो ये बताए वहां पर हम अलग से लाईन लगा कर वहां तक पानी पहुंचाने की कोटि तो करेंगे।

Sale of Illicit Liquor

387. Shri Bhagi Ram: Will the Minister for Prohibition and Excise be pleased to state the district wise number of cases registered against the persons indulging in selling illicit liquor in the State during the period from 1-11-1993 to date?

Food and Supplies Minister: (Shri Ganeshi Lal): A statement is laid on the table of the House.

Statement

The district wise number of cases registered against the persons indulging in selling illicit liquor in the State during the period from 1-11-1993 to date (14-7-1997) is as under:-

Sr. No.	No. of the District	No of cases registered
1.	Ambala	646
2.	Panchkula	113

3.	Yamuna Nagar	1603
4.	Kurukshtetra	755
5.	Kaithal	1370
6.	Rohtak	832
7.	Karnal	680
8.	Panipat	1027
9.	Sonipat	557
10.	Gurgaon	866
11.	Faridabad	1729
12.	Rewari	219
13.	Narnaul	427
14.	Hisar	853
15.	Sirsa	1792
16.	Jind	1221
17.	Bhiwani	1109
Grand total	Total	15799

अध्यक्ष महोदय, इस लिखित जवाब के अलावा मैं थोड़ी सी जानकारी और सदन को देना चाहूँगा। अब तक एक्साईज एक्ट के तहत कुल 59 हजार केसिज दर्ज हुए हैं और इनमें 63775 व्यक्ति भागिल हैं। यह सूचना भी इसके साथ मानी जाये।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने लिखित जवाब मे बताया कि 15799 केस दर्ज हुए है। मै जानना चाहूगा कि इन केसो मे सिरसा जिला जो इनका है और भिवानी जिला मे कितने ऐसे केसो की संख्या है जो पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद दर्ज हुए है।

श्री अध्यक्षः यह इररैलेवेंट क्वै चन है। आप बैठिये।

श्री अ गौक कुमारः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहूगा। कुरुक्षेत्र जिले के अन्दर लाडवा थाने के अन्दर एक केस दर्ज हुआ था। एच०वी०पी० के एक नेता के रि तेदारो के बारे मे इस केस के बारे मे अखबार मे छपा था कि वह केस वापिस लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय ये यह जानना चाहूगा कि वह केस किस बिनाह पर वापिस हुआ है?

मुख्यमंत्री चौधरी बसी लालः कोई केस वापिस नही हुआ है (विघ्न) अखबारो मे तो काफी कुछ छपता रहता है। हरिणा गवर्नर्मैंट के सामने केस वापस लेने के लिए न तो कोई दरखास्त आई है और न ही कोई फाईल सरकार के सामने आई है कि कोई केस वापिस ले लिया जाए।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिले के एक गावं बालासर मे इस कैबिनेट का एक वजीर गया था। वहा पर दारू पी कर के उनके बांडीगार्ड्ज और दूसरे पुलिस कर्मियो का

झगड़ा हुआ था। यह बात अखबार मे भी छपी थी कि राम स्वरूप रामा के बाडीगार्ड और उनके रि तेदार का उनकी हाजरी मे चालान हुआ था। मुझे इस बारे मे पूरा पता नहीं है लेकिन ऐसी चर्चा है कि उस समय श्री रामस्वरूप रामा जी भी दारू के न ० मे थे। अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हू कि उनके बांडीगार्ड का तो चालान किया गया लेकिन उनको क्यो छोड दिया गया?

श्री गणे रि लाल: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से अपने सम्मानित साथी को बताना चाहता हू कि चाहे दे । हो चाहे प्रदे । हो हर जगह कानून और सविधान का राज्य है। मुझे मालूम नहीं कि किसी व्यक्ति का नाम ले कर चाहे वह मंत्री हो या चेयरमैन हो, उसके बाडीगार्ड का झगड़ा हुआ इससे पता नहीं सम्मानित सदस्य इस सदन मे और हरियाणा की जनता मे क्या मैसेज देना चाहते है। हरियाणा मे हरियाणा विकास पार्टी और भारतीया जनता पार्टी की सरकार मे पुलिस की वर्दी बोझ नहीं है। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मै हाउस मे यह बताना चाहता हू कि हरियाणा मे भाराब के मामले मे पूरी ट्रासपेरेंसी है और इसे रोकने के लिए सिंसियर एफटर्ज की जा रही है। कानून की नजर मे सब बरबार है चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यो न हो उसे बख्भा नहीं जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कोई केवल इसी आधार पर कहे कि मैने सुना है या ऐसी चर्चा है, मे समझता हू कि कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री खु र्दि अहमद: अध्यक्ष महोदय, भाराब बन्दी के मामले मे मंत्री महोदय ने बताया है कि 1792 के सिज सिरसा जिले मे हुए है इस प्रकार से इस मामले मे यह जिला चैम्पियन आता है। क्या कारण है कि सिरसा मे गैर कानूनी भाराब के बेचने पर ज्यादा के सिज रजिस्टर्ड हुए हैं?

श्री गणे वी लाल: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूगा कि जहां वैल्थ एक्युमुलेट होता है, मैने डिके होता है। जब एक हजार के नोट के बन्द हुए थे तो उस समय सिरसा बम्बई के बाद दूसरे नम्बर पर आया था। हमारा सिरसा जिला का बार्डर पजांब और राजस्थान से करीब 600 किलोमीटर लगता है इस एफल्युएंसी के कारण यहां पर ज्यादा भाराब भी लाई जाती है और आकड़ो से भी जाहिर होता है कि उतने ही ज्यादा के सिज वहां पर रजिस्टर्ड हुए हैं और ज्यादा लोग वहां पर पकड़े भी गए हैं। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य को स्मरण करवाने मे मुझे कोई कश्ट नहीं होगा कि इस सरकार से पिछली सरकारो के समय मे ये लोग मंत्री भी रहे हैं उनको पता होगा कि जब इनकी गाड़ी हूटिंग करते हुए चलती थी तो मुर्गा भी नाड़ नीची करके कुककड़ कू करता था और भाटर भाराब का खुलता था। अभी इस सरकार मे मुर्गा भी कुककड़ कू गर्दन ऊपर करके बोलता है। जब हरियाणा मे भाराब बन्द हुई थी तो उससे पहले हरियाणा मे कोई भी पार्टी बगैर काकटेल के खत्म नहीं

होती थी लेकिन आज हरियाणा मे न ''कोक'8 है और न ''टेल'' है।

खेल राज्य मंत्री (श्री राम सर्लप रामा): अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेने अन है। (विधन एवम भाओर)

श्री अध्यक्षः चौधारी बीरेन्द्र सिंह जी आप बैठ जाए।

Please all of you take your seats. (भाओर एवम व्यवधान)

फाक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा सबसि अन है कि भागी राम जी ने सदन मे झूठी और निरधार बात कही है। It is a personal allegation. Please listen to Sh. Ram Saoop Rama also. (Noise & interruptins) अब राम स्वरूप रामा जी को भी अपनी बात करने का मौका दे। (भाओर एवम व्यवधान)

That was not relevant portion of his question.
There was no supplementary.

श्री राम स्वरूप रामा: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से भागी राम जी को यह बताना चाहूगा (भाओर एवम व्यवधान) आप मेरी बात सुन ले।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, यह जो भागी राम जी ने कहा है आप उसको एक्सपंज करवाए। (भाओर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सब बैठ जाएं। भागी राम जी ने सीधा मंत्री जी का नाम लिया है इसलिए उनको भी उस बात का जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए। (भाओर एवम व्यवधान) प्रान काल के बाद मंत्री जी बोल लेंगे।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, चौधारी भागी राम जी ने सीथो जी का नाम लिया है that was not relevant portion of his question. (Noise & Interruptions) इसको एक्सपज किया जाए। (भाओर एवम व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 17 जिलों के अन्दर 15799 केस दर्ज करवाए हैं। ये जो केस हैं इनमें से आज तक पुलिस थाने वालों ने कितने केसों में कोर्ट में चलाने पे त किए हैं और उनमें से कितनों को सजा हुई हैं।

श्री गणे पी लालः अध्यक्ष महोदय, 59 हजार 52 के सिज रजिस्टर्ड हुए थे जिनमें से 27 हजार 535 चालान कोर्ट में पे त हुए और 1701 के सिज में कनविक अन हुई हैं।

डा० बीरेन्द्र सिहः अध्यक्ष महोदय, यह कनविक अन दो तरह की होती है। एक तो भाराब का इन्डस्ट्रीयल डिस्ट्रीब्यू अन या

बड़ी मांत्रा मे स्मगलिंग वगैरहा है जैसे कि हम अखबारो मे पढ़ते है कि ट्रक के ट्रक भाराब के पकडे गए। इसके साथ ही दूसरी तरह के वह केस है कि कोई आदमी भाराब पीकर धूमता हुआ पाया गया। ऐसे केस भी बने हुए है (विघ्न) मै मंत्री जी से यह जानना चाहूगी कि भाराब की स्मलिंग के और भाराब की भट्ठी चलाने के कितने केसिज ऐसे है जिनमे कनविक अन हुई है। जैसा इन्होने कहा है कि 27 हजार केसिज मे से 1701 केसिज मे कनविक अन हुई है। मै मंत्री जी से जानना चाहूगा कि कनविक अन हुए 1701 केसिज मे से बडे मुर्गे कितने फसे हुए है और कितने को सजा हुई है?

श्री गणे री लाल: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से अपने सम्मानित सदस्य को बताना चाहूगा कि इसमे लगभग 23571 केसिज ऐस है जो बेले बल है और जिनके पास दो बोतल से कम भाराब मिली है। इसके अलावा लगभग 35301 केसिज ऐसे है जिनके पास से दो बोतले से ज्याद भाराब पकड़ी गयी है। इसके साथ 23571 केसिज मैने बेलेबल आफैसिज के बताए है। इसमे लगभग 25865 लोग भासिल है और जो नान बेलेबल आफैजि के केसिज है वह लगभग 37908 है। हमने 59052 केस रजिस्टर्ड किए है जिसमे कि 63071 लोग भासिल है तो अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यू अन ठीक से करे तो लगभग 1.202 के करीब एक केस के साथ, रजिस्ट्रे अन के साथ एक आदमी आता है। इसलिए इनका यह कहना कि कोई माफिया ग्रुप होगा या कोई और बात

बड़े लोग इसको आपरेट करने वाले होंगे, ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यदि कुछ केसिज में एक एक करे भी अगर चार हजार लोगों को अलग से छोड़ दूं तो कुछ केसिज ऐसे हैं जो ट्रक के माध्यम से भाराब की इलिलिसिट स्मगलिंग करते हैं। जहां तक इन्होंने वर्किंग स्पील्स की बात पूछी है कि कितनी भटिठयां इस तरह की पकड़ी गयी हैं मैं इनको इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमने इस तरह की लगभग 10866 भटिठयां पकड़ी हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिन 1701 आदमियों का कनविक आन हुआ है उनमें से भटिठयां चलाने वाले और बड़ी स्मगलिंग करने वाले कितने आदमियों को अभी तक सजा हुई हैं, यह मंत्री जी हमें बता दे?

श्री गणे पी लाल: अध्यक्ष महोदय, इसमें लगभग जी बेलेबल आफैसिज के केसिज हैं जिनमें सजा हुई हैं, वह लगभग 1566 है और बड़े केसिज में जिनको सजा हुई है उनकी संख्या 1035 है।

श्री जसविन्द्र सिंह सधु: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे माननीय साथी श्री अ ओक जी की सप्लीमैट्री के जवाब में बताया कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा आज तक हमने वापस नहीं लिया। सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लाडवा थाने में जो श्री भोर सिंह के नाम एक मुकदमा दर्ज हुआ था क्या वह वापस हुआ या

नहीं? श्री भोर सिंह जी मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन श्री वेदपाल जी के साले है। मंत्री जी ने आकड़े देकर जिला कुरुक्षेत्र के बारे में बताया है। लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा कि इस केस के दर्ज होने से पहले श्री रणधीर भार्मा वहां पर एस०एस०पी० थे लेकिन इसके बाद उनको वहां से बदल दिया गया।

श्री अध्यक्ष: जसविन्द्र सिंह जी, आप स्ओटमैट न दे बल्कि क्वै चन पूछे।

श्री जसविन्द्र सिंह सधु: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनके नोटिस में एक चीज लाना चाहता हूँ कि प्रदे । मे आज जो अधिकार ईमानदारी से भाराबबंदी लागू करना चाहता है और यदि वह सता पक्ष से जुड़े हुए किसी प्रभावी आदमी पर अपना हाथ डालता है तो वहां से उसका तबादला कर दिया जाता है। सरकार बताए कि श्री भोर सिंह जी का केस वापस लिया गया है या नहीं?

श्री बंसीलाल: अध्यक्ष महोदय, इनकी यह बात बिल्कुल निराधार है। हमने किसी एस०एस०पी० का तबादला नहीं किया बल्कि हकीकत तो यह है कि उसको उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पद पर लगाया गया है। हमने कोई मुकदमा वापस नहीं लिया। न कोई ऐसी दरखास्त की है और न ही ऐसा कोई डिसीजन है। ये अपने ही इस तरह की बाते घड़ लेते हैं।

श्री जय सिंह राणा: अध्यक्ष महोदय, जसविन्द्र सिंह जी ने भोर सिंह के जिस केस के बारे में जिकर किया है तो उसी बारे में मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि क्या इसकी क्या इक्वायरी दोबार से भुरु की गयी है या नहीं कि यह केस गलत दर्ज हुआ था या ठीक दर्ज हुआ था?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा): इस मामले के अंदर आप एक इंटू ऐसा खड़ा करके किसी एक आदमी के नाम को पोलिटिकली इन्वौल्वड करके गलत तरीके से प्रचार करने का साधन बना रहे हैं। (भाओर एवम व्यवधान) जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कोई केस भाराब के मामले में वापस नहीं हुआ। एक भोर सिंह का नहीं बल्कि सारे हरियाणा के अंदर भाराब के मामले में छोटा या बड़ा कोई केस वापस नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि भाराब के पकड़ने की फाकायत पर कोई सिपाही तक भी तबदील नहीं हुआ और आप कहते हो कि एस०पी० तबदील हुआ है। भारबंबदी स्टेट के फायदे के लिए की गई है आप इसको इंटू न बनाएं।

Consturction of Power House at Village Singhana

420. Shri Ram Phal Kundu: Will the Cheif Minister be pleased to state the time by which the power House of Village Singhna, district Jind is likely to be commissioned?

Chief Minister (Shri Basni Lal): Construction of 33KV Sub Station Singhana in district Jind is likely to be completed during the year 1997-98.

श्री राम फल कुण्डुः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने दो महीने पहले जींद मे आ वासन दिया था कि एक महीने के अंदर अदर सब स्टे अन बनकर तैयार हो जाएगा लेकिन आज तक वहा एक भी आदमी काम पर नहीं लगा है। विगत 8-10 साल मे वहा पर बिल्डिंग बनी पड़ी है और एक साल मे वहा कोई पोल तक नहीं लगा और अगर कही पोल लगे थे तो उन पर तार नहीं खेंचा गया तो किस तरीके से यह 1997-98 मे पूरा हो जाएगा?

श्री बसी लालः अध्यक्ष महोदय, सिंधाना के बारे मे मैंने कोई वायदा नहीं किया जहां तक इसके काम पूरे होने का सवाल है 31 मार्च से पहले पहले यह काम पूरा हो जाएगा। पंचायत से जमीन ली है और इस वक्त सिविल वर्क जितने होते हैं, वे कम्पलीट हो चुके हैं। इलैक्ट्रिक वर्क्स 30 परसैट कम्पलीट हो चुके हैं। 30 के 0वी0 लिक लाइन 70 परसैट कम्पलीट हो चुकी है और कार्य प्रौग्णि पर है।

Repair of Bridges

***355. Shri Nafe Singh Rathee:** Will the Chief Minister be please to state in the time by which the damaged bridges of Asoda Todran and Asoda Siwan (District Rohtak) on Western Jua are likely to be repaired/re-constructed?

Chief Minster (Shri Basni Lal): Temporary bridges at RD 33000 and RD 32700 of West Jau Drain were constructed by the villagers of Asoda Todran and Asoda Siwan at their own const and convenience. These are presently in

damaged condition. Uptil now, the deaptement has no programme to reconstruct these bridges.

श्री नफे सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, यह लोगों की एक बड़ी भारी समस्या है क्याकि लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा में ग्रामीण द्वारा बनाए गए किसी पुलि का सरकार ने पुनर्निर्माण किया है, अगर किया है तो बहादुगढ़ क्षेत्र के इस पुल का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा? इसके अलावा गांव लाहौरीहेडी और दसोधहेडी नहर का पुल टूटा पड़ा है जो कि लगभग दो साल से टूटा पड़ा है और कई ऐक्सीडैंट्स भी हो चुके हैं तो उसको निर्माण सरकार कब तक करा देगी?

श्री बसी लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तक ग्रामीणों द्वारा बनाए गए पुलों की मरम्मत का सवाल है यह पुल 20 साल पहले गांव वालों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए थे। एक पुल से दूसरे पुल के बीच में एक किलोमीटर का फासला रखना जरूरी होता है लेकिन इनमें वह फासला भी नहीं रखा गया। वे बिल्कुल नायायज पुल हैं ऐसा ही एक पुल पिछले साल बोहरस्थल के पास तोड़ भी दिया गया था। वह पुल तो ग्रामीणों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए हैं अगर उनको कोई दिक्कत है तो वे अपने आप ही इनकी मुरम्मत करें।

Construction of P.W.D Rest House, Beri

376. Dr. Virender Pal Ahlawat: Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a P.W.D Rest House, Beri?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मबीर यादव): नहीं, श्रीमान जी।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावतः अध्यक्ष महोदय, झज्जर जिला अभी अभी बना है जिसके अन्दर बेरी एक तहसील है। आज तक किसी भी महकमे न बेरी तहसील के अन्दर विश्राम गृह बनाने का प्रयास नहीं किया है फिर भी क्या मंत्री जी द्वारा तहसील बेरी मे विश्राम गृह बनाने की प्रोपजल न लाना वहां के लोगों के साथ बेइसाफी नहीं है। (विधन)

फैक्षा मंत्री श्री राम बिलास भार्मा: नये जिले बनाने का धन्यवाद तो कर दो।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावतः सारे झज्जर जिले के लोग इस बात से खिन्न हैं वे झज्जर को जिला बनाने ही नहीं चाहते थे किसी ने यह लिखकर नहीं दिया कि झज्जर को जिला बनाया जाये।

मुख्यमंत्री श्री बंसी लालः पिछले एक साल का अखबार पढ़कर देखो फिर पता चलेगा कि जिला बनाने की मांग की गई है या नहीं।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावतः हमे तो गावों मे लोग धुसने ही नहीं देते। वे कहते हैं यह क्या कर दिया जिला क्यों बन दिया। यह सब राजनीतिक कारणों से हुआ है।

श्री रामबिलास भार्मा: स्पीकर साहब, जिले का उदघाटन करने तो आप खुद गये थे आप ने देखा कि झज्जर के लोगों ने कितने उत्साहपूर्वक वहां स्वागत किया और खुद वीरेन्द्र पाल जी कहते थे और धन्यवाद देते थे कि चलो बेरी को भी इससे महत्व मिलेगा आज ये जो भी कहे।

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावतः बेरी का तो पहले से ही महत्व है यह किसी का दिया हुआ नहीं है।

श्री अध्यक्षः यह क्वै चन आवर है। (विघ्न)

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, हम झज्जर के लोगों को बता देंगे कि वीरेन्द्र पाल अहलावत जी ने हाउस के अन्दर यह सलाह दी है कि यह जिला गलत बना है इस बारे किसी ने मांग की ही नहीं।(Interruptions)

Mr. Speaker: This matter is not be discussed at this statge.

डा० वीरेन्द्र पाल अहलावतः इस बात का आप सर्वे कराकर देखा ले।

श्री धर्मबीर सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के अनुसार आज तक कभी कोई ऐसा मौका नहीं हुआ कि श्री वीरेन्द्र कभी बेरी मेरठ के रुके हो। इसके आसपास लगते झज्जर और छुछकवास मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अच्छे विश्राम गृह बने हुये हैं। अगर कभी ऐसा मौका आये तो ये वहां पर विश्राम कर सकते हैं आज ये किसी तथ्य के अनुसार बेरी मेरठ हाउस बनाने की बात कर रहे हैं।

डॉ वीरेन्द्र पाल अहलावतः ताकि बेरी मेरठ को ठहरने की सुविधा मिल जाये इसलिए मैं बेरी मैरठ हाउस बनाने की बात कर रहा हूँ।

श्री धर्मबीर सिंह यादवः बेरी मेरठ से 12 किलोमीटर दूरी पर झज्जर से अच्छा मेरठ हाउस है वहां जाकर भी तो ठहर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः क्वै चन आवर इज ओवर।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रानों के लिखित उत्तर

Water Supply Scheme

433. Shri Ramphal Kudu: Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government of construct a separate water supply for Pillukhera Mandi; if so, the time by which the proposal is likely to be materialised?

कृशि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): पिल्लुखेडा मे नई निर्माणधीन मंडी के ले आऊट प्लान मे जल आपूर्ति के प्रावधान की व्यवस्था है। लेकिन इस बारे मे भू जल पीने योग्य न होने के कारण विस्तृत विवरण अभी तैयार किया जाना भोश है। फिलहाल नहरी पानी पर आधारित पिल्लुखेडा भाहर जल आपूर्ति योजना से दो कनैक अन लिए हुए है।

Desilting of Jasrana Minor

354. Shri Nafe Singh Rathee: Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the desilting of jasrana Minor Sonipat formk Rithal head to Gaurer will be completed?

मुख्यमंत्री श्री बसी लाल: जसराना माइनर सोनीपत का रिठाल हैड से गौरड तक गाद निकालने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

Hike in Electricitiy Traiff

327. Capt. Ajay Singh Yadav: Will the Chief Minister be pleased whether any hike in power tariff, surcharge, line charges and meter charges for the supply of electricitiy to the Agriculture, Industrial and domestic sector in the State has been made by H.S.E.F during the year 1996-97,if so, the detials thereof?

Chief Minister (Shri Basni Lal) A statement is laid on the table of the House.

Statement

Tariff

Power tariff for various categories of consumers was revised on 1-7-1996 as follows:-

Category	Pre Revised rates			Revised Traiff after Merging
	Energy charges Paise/Unit	Fuel surcharge Paise/Unit	Total Paise/Unit	fuel surcharge @ 10 Paise/Unit
Domestic Supply				
Ist 40 Units	90	10	100	150
Above 40 Units	200	10	210	225
L.T Industrial (Upto 70 Km)	240	10	250	300
HT Industrial (Above 70 kw)				
(I) Normal Tariff	240	10	250	300
(II) Tariff for Lift Irrigation	240	10	250	140
Agricultural Supply				
Metered	50	Nil	50	No change except withdrawal of concessionsl

				tariff of 30 Paise/Unit
Unmetered	Rs. 65 Per BHP	Nil	Rs. 65 Per BHP	No change except withdrawal of concessional tariff of 43 Paise/Unit
HSMITC	100	Nil	100	140

Foot Note

The concessional tariff for agricultural tube wells applicable to the tehsils of Mohindergarh, Dadri, Bhiwani, Lohary, Sub tehsil Nahar of Tehsil Jhajjar, blocks of Ateli, Jatusana, Khol, Bawal and Rewari of District Mohindergarh and Pinjore of District Ambala due to deep and scanty water was withdrawn on 21-8-1996 in view of overall improvement of water table. Presently, normal agricultural tariff is being charged in these areas.

Surcharge

At the time of revision in tariff w.e.f. 1-7-1996, the notified fuel surcharge applicable at the rate of 10 Paise per unit was merged in the energy charges. Due to escalation in the delivered cost of coal by the Government of India, the fuel surcharge was revised to 18 paise per unit from the date of Government of India notification which was issued on 1-4-1996. Since out of 18 paise per unit fuel surcharge, 10 paise per unit had already been merged in the energy charges, the balance 8 paise per unit was applicable w.e.f 1-7-1996. Again

due to further escalation in the delivered cost of coal and oil by the Government of India, the fuel surcharge was further revised cumulatively is follows:-

2-7-1996	13 paise per unit
1-8-1996	19 paise per unit
20-10-1996	22 paise per unit
1-4-1997	35 paise per unit

This surcharge is not applicable on electricity supplied to agricultural tubewells.

Line Charges

Prior to November, 1993, the Board used to levy monthly service line charges from the consumers, where the service line was laid down at the cost of Board. Subsequently from November, 25, 1993 the Board introduced the concept of one time service connection charges for industrial and bulk supply consumers. This order was applicable in respect of only new consumers and where extension of load was sought for. These charges were revised on 14-11-1996 as follows:-

Sr.	Category of consumer	Pre-revised rates	Revised rates	Remarks
1.	H.T industrial consumers	Rs. 55/- per KVA for the contract	Rs. 750/- per KVA for the contract	Applicable upto 300 metres Additional cost @ Rs. 100 Per metre

		demand	demand	chargeable against Rs. 70/- applicable earlier for length beyond 300 metres. In case the supply is one voltage highr than 11 KV, the service connection charges shall be highest of the following (a) Actual Cost (b) Rs. 750 per KVA (c) Rs. 4.5 lace (Minimum)
2.	For Loads up to 70KW (Both for buld and lt Industrial Supply)	Rs. 350 /- per KVA	Rs. 500 /- per KVA	Applicable upto 300 metres Additional cost @ Rs. 70 Per metre chargeable against Rs. 50/- applicable earlier for

				length beyond 300 metres.
--	--	--	--	------------------------------

There are no fixed service connection charged for agriculture and domestic categories. However, the domestic consumers are governed by the old policy and monthly service line charges are being charged wherever applicable.

Meter Charges

The following charges are payable by the consumers:

(i) Meter Service Charges

In case, the meter is provided by the Board, the consumers are charged monthly meter service charges (rentals). However, no revision was made in respect of these charges during the year for any category of consumers.

(ii) Meter Security

As a security deposit by the consumer towards the meter installed by the Board, the meter security charges are levied. These were revised w.e.f 25-10-1996 to meet the increased cost of metres. The revised rates are as follows:-

Sr. No.	Meter type/rating	Revised Security Rates
1.	Single	Rs. 600/-
2.	Three phase	Rs. 1000/-

3.	L.T Three phase CT operated meter with C.Ts	Rs. 7500/-
4.	H.T meter without Trivector meter with C.Ts/P.T	Rs. 25000/-
5.	L.T Conventional Trivector meter with C.Ts	Rs. 25000/-
6.	H.T Conventional Trivector meter with C.Ts/P.T	Rs. 35000/-
7.	H.T Electronic Trivector meter with C.Ts/P.T	Rs. 40000/-

The Board is paying an annual interest of 10% on the meter security deposit exceeding Rs. 100/-

सचिव द्वारा

MR. Sepaker: Now the Secretary will make some announcement.

Secretary: I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Session held in March, 1997 and have since been assented to by the Governor:-

1.	The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1997
2.	The Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1997
3.	The Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1997

4.	The Punjab Excise (Amendment) Bill, 1997
5.	The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1997
6.	The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1997
7.	The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1997
8.	The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1997
9.	The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1997

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

खेल राज्य मंत्री द्वारा

खेल राज्य मंत्री द्वारा (श्री राम सरुप रामा): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य श्री भागी राम जी ने जो मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है कि मेरे गनमैन का चालान हुआ है क्योंकि मेरा गनमैन दारू के नो मे धुत था तथा रामा भी भाराब के नो मे धुत था। लेकिन मैं इस आरोप का खण्डन करते हुए माननीय सदस्य व सदन को बताना चाहता हूँ कि यह जो बालेसर की बात कर रहे हैं कि मेरे साथ गनमैन था, उसने दारू पी रखी थी। उस गनमैन ने अगर जन्म से भी दारू पी हो तो मैं अभी त्याग पत्र दे दूँगा। (थम्पिंग) अगर यह बात की थाने या जनता के बीच मे साबित हो जाये तो यह तो मैं अस्तीफा दे दूँगा या चौधरी भागी राम जी अस्तीफा दे दे। (विधन) दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि

राम सरूप रामा भी भाराब के नो मे धुत था। मै कहता हू कि जब मेरा गनमैन पकड़ा गया तो सरकार की जो कानूनी कार्यवाई की पालना जिस थानेदार ने नही कही, उसको जेल मे भेज देना चाहिए। (विघ्न) इसके अतिरिक्त यह भी पता लगाया जाए कि क्या वह समता पार्टी टिकट का कटटर समर्थक था या कोई व्यक्ति था, क्योंकि उस समय बिल्लु जी भी थे और वहा पार्टी टिकट का दावेदार मेरी क यप बिरादरी के नाते वहां गया था। लेकिन मेरा उससे कोई वास्ता नही है। (गोर) लेकिन मै फिर यह बात जोर देकर कहता हू कि अगर मेरे गनमैन ने दारू पी रखी थी, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि या तो मै अस्तीफा दे दूंगा या माननीय सदस्य अस्तीफा दे दे। अगर जन्म से भी उसके द्वारा दारू पीने की बात साबित हो जाए। (थम्पिंग)

प्रक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): स्पीकर साहब, इन भाईयो को यह दारूबंदी हज्म नही हो रही है। पिछली बार चौधारी भजन लाल जी ने भी इस अगस्त हाउस मे एक सेटमैट दी थी कि भिवानी जिले मे भाराब पीने से 12 आदमी मर गए। एक घंटे के तुरत बाद हमने उनसे मृतको के नाम वं गांव का नाम पूछा तो उन्होने कहा कि वह पर्ची जिस पर उन्होने नाम लिखे हुए थे, उनके दिल्ली वाले कर्ते की जेब मे रह गई है। उसके बाद स्पीकर साहब, दो दिन के लिए सदन की छुट्टी थी। उस समय चौधारी वीरेन्द्र सिंह जी तथा अन्य माननीय सदस्य भी इस बात के च मदीद गवाह थे। चौधारी भजन लाल जी ने हमने फिर पूछा कि

आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं तथा हम आपकी बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं तो उन्होंने कहा कि वह सूचना तो ऐसी ही मिली थी और उन्होंने माफी मांगकर अपनी जान छुड़ाई। आज भी उसी प्रकार से चौधारी भागी राम जी ने बड़ी आसानी से आरोप लगाया है। श्री रामसरूप रामा जी ने तो यहा तक कह दिया है कि अगर उस गनमैन ने जन्म से भी भाराब पी हो तो वे अस्तीफा दे देगे। तो क्यों नहीं ये उनका चेलेज स्वीकार करते हैं?

स्थान प्रस्ताव की सूचना/बैठक का सिग्न

श्री खुर्दिंद अहमद: स्पीकर साहब, इस सदन मे हमारे साथियों ने एक एडजनमैट मोन दी है तथा यह मोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के बारे मे हमारी तरफ से मूव हुई है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सविधान को वाएलेट किया है। इस हाउस के सैन मे होते हुए दो आर्डिनेंस जारी किए गए। यह बहुत सीरीयस मैटर है। इससे डेमोक्रेसी की तमाम परम्परओं पर इफैक्ट होता है और सभी लोगों पर इसका असर पड़ता है यह इस हाउस के मैम्बरान के हकों पर एक छापा हैं यह इस हाउस का कंट्रोल है इसलिए हाउस का बाकी बिजनैस रोक करके हमने जो एडजर्नमैट मोन दिया है उस पर बहस की जाए।

Mr. Speaker: An adjournment motion from your side was received in the office at 1-10 P.M and the same has been rejected as the ordinances have been withdrawn. (Noise & Interruptions)

श्री राम पाला माजरा: स्पीकर साहब, यह बहुत ही
सीरीयस मामला है। आप हमारी बात तो सुनें।

Shri Khurshid Ahmed: Mr. Speaker Sir-----(Noise & Interruptions)

Mr. Speaker: Ch. Khurshid Ahmed Ji, please take your seat.

(Noise & Interruptions) Nothing to be recorded.
(Noise & Interruptions)

श्री राम पाल माजरा:

(At this stage, the members of the Sampat Party Present in the House came to the well of the House and started shouting slogan. They also staged a dharna there.)

Mr. Speaker: Please take your seats. (Noise & Interruptions)

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हाउस को नियमानुसार आराम से चलने दे। माननीय सदस्य माजरा साहब ने इस से अन के बारे में एक बात कही मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस तरह का से अन यह पहली बार नहीं बुलाया है इस तरह का यह सातवीं बार से अन बुलाया गया है। यह रिकार्ड की बात है। सबसे पहली बार इस तरह का से अन 1967 में बुलाया गया था। उस समय राव बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसी तरह का से अन 1978 में बुलाया गया था।

उस समय चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यह रिकार्ड की बात है। (गोर)

श्री कृष्ण लाल: स्पीकर साहब, मेरा अपासे निवेदन है कि हाउस को प्रोरोग किए बगैर ही दो आर्डीनैस जारी कर दिए गए और सरकार ने गवर्नर महोदय को अधोरे से रखा। यह मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मो अन बनता है इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मो अन लाया जाए। (गोर)

श्री कृष्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुछ भी रिकार्ड न किया जाए।

श्री कृष्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हाउस 15 मिनट के लिए एडर्जन किया जाता है।

(The Sabha then adjourned and re-assembled at 4-12 P.M)

Mr. Speaker: Now, I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various businesses.

The committee met at 10.00 A.M on Monday, the 21st July, 1997 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in session, shall meet

on Monday at 2.00 P.M and adjourn at 6.30 P.M and on Tuesday at 9.30 A.M and adjourn at 1.30 P.M without question being put.

The Committee recommends that on Wednesday, the 23rd July, 1997 the Assembly Shall meet at. 9.30 A.M and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business form the 21st July, 1997 to 23rd July, 1997 be transacted by the Sabha as under

Monday, the 21 st July, 1997 (2.00 P.M)	1. Obituary references
	2. Question Hour
	3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee
	4. Papers to be laid on the Table of the House.
	5. Presentaiton of Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1992-93
	6. Legislative Business.
Tuesday, the 22 st July, 1997 (9-30	1. Question Hour

A.M)	
	2. Discussion and voting on the Excess Demands over Grnats and Appropriations for the year 1993-93
	3. Official Resolution
	4. Legislative Business, if any.
Wednesday, the 23 st July, 1997 (9-30 A.M)	1. Question Hour
	2. Motion under Rule 15 regarding non stop sitting.
	3. Motion undr Rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine Die.
	4. The Haryana Appropriation Bill in respect of Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1992-93
	5. Legislatve Business
	6. Any other Business."

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Adviosry Committee.

Agriculture Minister Shri Karan Singh Dalal: Sir,
I beg to move—

That the House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

Shri Khurshid Ahmed: Sir, I want to speak on this motion.

Mr. Speaker: Yes, you may speak.

श्री खुर्शिद अहमद नूह: सर, हाउस इन हालात मे जैसे कन्वीय हुआ है बीच मे जो अन कास्टीच्यू अनल चीजे हरियाणा मे हुई है और सविधान को वायलेट करने की बाद दोबारा से इस हाउस को बुलाना ही इल्लीगल है। यह इल्लीगलीटी है जो कि रैकटीफाई नही हो सकती है। आज हमारे पास आपका यह नोट आया है कि हमने यह आर्डीनैसिंज विद्वा कर लिए है। जिस दिन यह आर्डीनैसिज जारी हुए उस दिन से ही यह सरकार कास्टीच्यू अन की वाइले अन मे चलती रही है। इस सरकार ने आज तक जो काम किया है वह टोटली इल्लीगल काम किया है। जो कुछ भी आर्डीनैसिज के तहत स्टैप लिए गए है वे सारे स्टैप ही इल्लीगल है। एक सरकार जो कास्टीच्यू अन को वायलेट करे,

कास्टीच्यू अन की धजिज्या उड़ाए उस सरकार का दूसरा सै अन बुलाने का हक नहीं रह जाता है। जब तक उस मामले का कोई फेसला नहीं हो जाए। आज उसको रैकटीफाई करने के लिए हमने 10,20 और 30 दिन बाद उन आर्डीनैसिज को विद्वा कर लिया है। यह सरकार दो महीने तक जो इल्लीगलीटी करती रही है। उस सरकार का क्या हश्र होगा। क्या यह सरकार कास्टीच्यू अन के मुताबिक नहीं है, अगर है तो इस सरकार को यह सै अन बुलाने का कोई हक नहीं है। इस इल्लीगलीटी को करने का और इस हाउस को इग्नौर करके गलती को कन्डेन करने का आज इस सरकार के पास कोई इस्टमैट ओर कोई मीन्ज नहीं है। This is a constitutional crisis in which this Government has to face dismissal and nothing else or we will have to approach the Governor for any via media. This session is illegal. This Report of the Committee is only one sided affair. None of the Members of the other parties was present in the meeting.

Mr. Speaker: Mr, Birender Singh was very much present there.

Shri Khurshid Ahmed: But nothing was happened in the meeting (Noise)

Mr. Speaker: Your Hon'ble member, Ch. Birender Singh was very much present in the meeting.

Shri Khurshid Ahmed: This is contempt of the House. This is breach of privilege of this House and if we endorse it and if you do not agree with it then there is no other way for us except to take up the matter at some

appropriate place wherever it is possible. We will have to report it to the President or to any body whosever is competent to take action against this Govenment. This Govenment has functioned in violation of the Constitution. If we go on tolerating such sport short of things is can result into anything. It is not only a small matter that people start playing with the Constituation and a day will come when they will do away with democracy totally. That is the trend which is taking place in the State, and if it is being tolerated by the House this cannot be permitted. We have to take steps and we seek your cooperation that unless and until this matter is resolved nothing else should be transacted in this House except deciding this thing whether this Governmnet is legal or otherwise after committing any illegality or viorlations of the Constituation. if it is a minor illegality then we can endorse it, but it is a serious matter and the House has no remedy to endorse a violation of the Constitution of India by the Government of Haryana. For this whosoever is responsible he will have to be accountable for this. I propose that we adjourn this House for the time being and re-summon it according to the rules after resolving this dispure of the illegal activity which has been going on in viloation of the constitution for weeks in the State. That is all, Mr. Speaker.

Shri Bansi Lal: Ordinaces have been withdrawan with effect form the date they were issued being void ab initio.

(At this stage, many members started speaking without permissions of the Speaker)

श्री अध्यक्षः ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए। सभी सदस्यगण अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाएं।

श्री कृष्ण लालः अध्यक्ष महोदय, (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठिए। (गोर एवम व्यवधान)

(इस समय समता पार्टी के उपस्थिति सभी सदस्यों हाउस की बैल मे आकर नारे लगाने लगे) (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृष्णलाल जी, मैं आपको वार्न करता हूँ। आप अपनी सीट लीजिए। (गोर एवम व्यवधान) आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठिए। (गोर एवम व्यवधान) भागी राम जी, आप इनको क्या उकास रहे हैं। (गोर एवम व्यवधान) कृष्णलाल जी, यह मेरी आपको लास्ट वार्निंग है। आप अपनी अपनी सीटों पर बैठिए। (गोर एवम व्यवधान) आप कृपया बैठ जाइए। (गोर एवम व्यवधान)

मेरी आप लोगो से विनती है कि आप अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाइए। (गोर एवम व्यवधान) आपने जो कुछ भी कहना है अपनी सीट पर बैठकर कहिए। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। कि आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

(इस समय विपक्ष के सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए)

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। रामपाल जी, आप बोले।

श्री रामपाल माजरा (पाई): अध्यक्ष महोदय, दो आईंनैसिज, एक आदमी ने जारी कर दिए, भायद वे मुख्यमंत्री ही है। इन्होंने इस सदन के सभी सदस्यों के हक पर डाका डाला है इतना ही नहीं यह बैठक भी अपने आप में एक साजि है। जान बूझकर विरोधी पक्ष के नेता श्री औमप्रकाश चौटाला जी, चौधारी धीर पाल सिंह जी, श्री रमेश खटक व काग्रेस पार्टी के नेता चौधारी भजन लाल जी को इस सदन में आने दिया जाए इसलिए इस प्रकार की साजि की गई है। हरियाणा प्रदेश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो यहां आकर जनता की आवाज बुलद करते हैं उस बात से यह प्रधान महरूम रह गया है। (गोर एवं व्यवधान) यह जनतंत्र है लोकतंत्र है। असली ताकत तो जनता की है अब्राहम लिकन ने कहा था the Govt. is of the people, for the people and by the people. लेकिन हरियाणा प्रदेश में आज के सन्दर्भ में यह डैफीने धन बदलती नजर आती है। जिस तरह से चौधारी बंसी लाल पहले ताना गाह के रूप में जाने जाते थे यह इस बात से प्रकट हो गया है कि Government is off the people to buy the people and far the people आज हरियाणा प्रदेश का तंत्र इस प्रकार का बन गया है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से चौधारी बंसी लाल जी को बताना चाहता हूं कि उन्होंने कल

यात्री निवास मे हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मन्त्रियो और विधायको की मीटिंग की। वे अपनी बात को वही पर कह लेते तो फिर इस सदन को बुलाने की क्या आव यकता थी। सदन मे तो विपक्ष को सुनना ही पड़ता है। परन्तु यह सुनना नहीं चाहते है। जिसकी वजह से गवर्नर महोदय ने दो आर्डीनैसिज को वापस लेना पड़ा और इस प्रकार सरकार पर असवैधानिक काम करने की मोहर लगी यहां हर काम असवैधानिक हो रहे है और आप बर्दा त करते जा रहे है आपको इस बारे एक अन लेना चाहिए। (विधन) यह इस प्रकार का सै अन बुलाया गया है। जिसमे लोकतन्त्र का हनन हुआ है और सभी मैम्बार साहेबान के अधिकारो को ठेस पहुचती है। यह हरियाणा प्रदे अन की जनता की आवाज सुनने वाला नहीं है। यह सदन प्रदे अन की जनता की समस्याओ को हल करने वाला और विकास करने वाला नहीं है। यह केवल गठबधन की मीटिंग है और मै तो यह कहता हू कि यह मीटिंग तो ये यात्री निवास मे ही बुला लेतें यह सदन बुलाने की क्या जरूरत थी।(विधन)

श्री अध्यक्ष: आप भी इस गठबन्धन मे भागिल हो जाये। (विधन) मै पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर से अनुरोध करूगा कि वे बैठ जाये।(विधन) Mr. Majra, I request you to use parliamentary language. You cannot speak whatever you like.

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदे अन की सरकार ने कर्मचारियो के साथ, व्यापरियो के साथ, किसानो के

साथ और मजदूरों के साथ जो जुल्म और ज्यादतिया की है उनको ठीक ढग से उजागर करने के लिए विरोधी पक्ष की बहुत जरूरत थी परन्तु वे सदन में नहीं आये। क्योंकि वे कर्मचारियों, व्यापारियों, किसानों और उन मजदूरों का दर्द ये सुन नहीं सकते क्योंकि जुल्म और ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। ताना आही बढ़ती जा रही है और लोकतन्त्र का गला धोटा जा रहा है। (विघ्न)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, व्यापारी लोग चौटाला साहब की कहा सुनते हैं गांव में कुछ आदमी लाकर बैठा दिए और अखबारों में दे दिया कि व्यापारी आ गये। अब ये व्यापारी के नाम से चमकना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर साहब, जिस तरह भिवानी में और चरखीदादरी में दो व्यापारियों का कत्ल कर दिया गया वे व्यापारियों के हमदर्द कहा से हो गये। आज तक किसी को गिरफतार नहीं किया गया है और करनाल में एक इण्डस्ट्रियलिस्ट को मार दिया गया ये व्यापारियों के हमदर्द कहा से हो सकते हैं चौटाला साहब व्यापारियों के, कर्मचारियों के नेता है और दलाल साहब कान खोलकर सुन लो क्योंकि सच्चाई कहते ही आपको पतगे लगते हैं अब किसी चीज को छिपाने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि हरियाणा में आज हर चीज तहस नहस हो चुकी है और आप जैसे वर्करों की वजह से आपके नेता को नुकसान हो जायेगा। (विघ्न)

ि अक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): स्पीकर साहब, खु र्दिं अहमद जी बहुत पुराने पार्लियामैटेरियन है और इस अगस्ट हाउस मे कई जिम्मेवारियो के ओहदे पर वे रहे है और मैम्बर पार्लियामैट भी रहे है उन्होने एक मुददा उठाया कि इस अगस्ट हाउस को बुलाया जाना असवैधानिक है। स्पीकर साहब, आपने सही फरमाया कि यह ऐसा सातवा सत्र है जो इस तरह से प्रोरोग होने से पहले बुलाया गया है यह अगस्ट हाउस आने आप मे सार्वभौम है और अपने किए हुए फेलसे को बदल सकता है और सत्र इस तरह से बुलाया जा सकता है स्पीकर साहब, जिस आर्डिनैसिंज की बात चौधरी खु र्दिं अहमद जी कर रहे, उस बारे मे मै कहना चाहता हू कि सरकार या गवर्नर साहब कोई आर्डिनैसिंज जारी करते है तो उसको वापिस भी ले सकते है आज से बहुत पहले जिस तिथि को वह आर्डिनैसिंज जारी हुए थे उसको उसी तिथि से समाप्त कर दिया गया, तथा अब उस का कोई इफैक्ट नही है। इसके अतिरिक्त जिस बिजनैस एडवार्ड्जरी कमेटी की मीटिंग की बात चौधरी खु र्दिं अहमद जी ने कही, उसी मीटिंग चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी भी उपस्थित थे। बहुत हंसी खु नी से वह मीटिंग पूर्ण हुई। उस मे रसगुल्ले भी खाए गए। (गोर एवम व्यवधान) स्पीकर साहब, आधे घटे से भी ज्यादा समय तक वह मीटिंग आपकी अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई। उस मीटिंग मे माननीय मुख्यमंत्री जी थे चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी थे, उपाध्यक्ष महोदय थे, संसदीय कार्य मंत्री श्री कर्ण सिंह दलाल जी थे तथा मै उपस्थित था। उस मीटिंग मे सारे मुद्दो पर चौधरीर बीरेन्द्र

सिंह जी ने अपनी पार्टी की तरफ से काफी डिस्क टन की। उस मे मुख्यमंत्री जी ने बीरेन्द्र सिंह जी से कहा कि हमारी 11.00 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी नके हा कि उनके मास्टर श्री भुपिन्द्र सिंह हुडडा जी आए हुए हैं तथा उनकी ही अध्यक्षता मे उनकी भी कोई मीटिंग होनी थे। अत मै चौधरी खु र्दिं अहमद जी को सच्चाई बताना चाहता हू कि मुख्यमंत्री जी ने कोई बहिश्कार नही यिका। वह मीटिंग बहुत अच्छी तरह से सदभावपूर्वक सम्पन्न हुई। चौधरी खु र्दिं अहमद जी तो इस प्रकार की कच्ची व रल्ली छलली बातो पर वि वास नही करते थे। पता नही उनको इस प्रकार की खबरे कहा से आने लगी है। |(गोर एवम व्यवधान) दूसरी बात यह है कि जो बात चौधरी खु र्दिं अहमद जी ने कही वह इनकी समझ मे तो नही आ पाई है। अगर समता पार्टी के माननीय विधायक श्री बलबीर जी पहलवान श्री खु र्दिं अहमद जी द्वारा आरम्भ से लेकर अत तक अग्रेजी के की गई तकरीर का एक वाक्य भी बता दे तो मै मान जाऊगां। (विघ्न) वे जो मुददे उठाए गए है उन के संबंध मे ही मै कुछ बात कर रहा हू। श्री रामपाल माजरा भी व्यापारियों व चौधरी बंसी लाल की ताना गाह सरकार की बात कर रहे थे। |(गोर एवम व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस अगस्ट हाउस का रिकार्ड है कि आपकी रहनुमाई मे यह सदन अच्छी तरह से चला है पिछली बार चौधरी औमप्रका । चौटाला जी ने सदन मे एक एडजर्नमैट मो टन रखा था था सदन के नेता ने कहा कि आप चौधरी ओमप्रका । चौटाला पर ही छोड दे इस मो टन पर जिस तरह से

जितने समय तक वे बहस कराना चाहे, करा सकते हैं तथा उस पर पूरी बहस कराई गई तथा पूरा समय दिया गया। लेकिन वे केवल भाराबंदी को लेकर के ही निराधार बाते कह रहे हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इनको यह भाराबंदी हजम नहीं हो रही है। सारी दुनिया इस बात की तारीफ कर रही है (गोर) स्पीकर साहब, इस से उन का बुलाया गया जाना बहुत ही सवैधानिक है। इसमें कहीं पर भी कोई असवैधानिक बात नहीं है। पार्लियामैटरी डेमोक्रेसी में भी Government is run through deliberations. यह सदन उसका सबसे बड़ा प्रजातात्रिक स्वरूप है। चौधरी खुर्दिंद अहमद जी का यह खदसा ठीक नहीं है। इस सदन को बिल्कुल ही सवैधानिक और प्रजातात्रिक प्रणाली के अनुरूप ही बुलाया गया है। (गोर) मुझे भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। इस प्रकार से हमने इनको बीच में इट्रप्ट नहीं किया। हमने तो इनकी बातों को बड़ी भान्ति से सुना है। आप मुझे अपनी बात पूरी करने दे। हमने आपकी बातों को ध्यान से सुना है। हमने चौधरी खुर्दिंद अहमद जी की बातों को ध्यान से सुना है। माननीय सदस्य रामपाल माजरा की बातों को ध्यान से सुना है। और चौधरी बीरेन्द्र सिंह की बातों को हम ध्यान से सुनेंगे इसलिए आप मेरी बात को पूरा होने दे। आप राज्यपाल महोदय के बारे में कह रहे थे राज्यपाल महोदय ने उन दोनों आर्डीनैसिज को विद्वा कर लिया। स्पीकर साहब, आपने इस अगस्त हाउस को सम्मन किया है। आपकी इस बात का अधिकारी है कि आप इस अगस्त हाउस को सम्मन कर सकते हैं।

Mr. Speaker: Ch. Birender Singh JI, you please take your seat. Ch. Balbir Singh Will speak first. Ch. Balbir Singh, you please speak.

श्री बलबीर सिंह (मेरहम): अध्यक्ष महोदय, मौजूदा फाक्षा मंत्री बहुत ही विद्वान है इन्होने मेरा नाम लेकर एक बात कही है मैं आपके माध्यम से उस बात का इनको जवाब देना चाहूँगा और जवाब लेना भी चाहूँगा। (गोर)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों मे मेरा निवेदन है कि जब तक चौधारी बलबीर सिंह जी बोले दूसरा माननीय सदस्य इनके बीच मे न बोले।

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि भारत के संविधान की धजिज्या उड़ा कर इस सदन के चार माननीय सदस्यों लीडर आफ दि अपोजि अन चौधारी ओमप्रकाश चौटाला, काग्रेस पार्टी के लीडर श्री भजन लाल, चौधारी धीरपाल जी और रमेश खटक को सदन से बाहर रखा गया है आज तक ऐसे किसी भी मुख्यमंत्री के समय मे नहीं किया गया। (गोर) अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लेकर इन्होने बात कही है इसलिए मैं उसका जवाब देना चाहूँगा।

Mr. Speaker: Question is-

That this House agree with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

वाक आउट

आवाजे: स्पीकर साहब, हम इस रिपोर्ट की सिफारि तो से सहमत नहीं है। इसलिए हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन मे उपस्थित समता पार्टी तथा इडियन ने अनल लोकदल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker: Now a Minister will lay the papers on the Table of the House.

Agriculture Minster (Shri Karan Singh Dalal) Sir,
I beg to lay on the Table of the House-

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R 11/H.L.A 20/73/S.64/97 dated the 14th March] 1997 regarding the Haryan General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64 (3) of the Haryna Gereral Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R 37/H.L.A 20/73/S.64/97 dated the 28th May, 1997 regarding the Haryan General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64 (3) of the Haryna Gereral Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R 39/H.L.A 20/73/S.64/97 dated the 28th May,] 1997 regarding the Haryan General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64 (3) of the Haryna Gereral Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R 40/H.L.A 20/73/S.64/97 dated the 3rd June, 1997 regarding the Haryan General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64 (3) of the Haryna Gereral Sales Tax Act, 1973.

The Gereral Admisstration Department General Services Notification No. G.S.R 22/Const. At 320/Amd. (1) 97, dated the 11th April 1997 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendement Regulations, 1997 as required under Article 320 (5) of the constitution of India.

The Gereral Admisstration Department General Services Notification No. G.S.R 3/70/S.8 and 9/97 dated the 15 May 1997 Minister Travelling Allowance Amendment Rules, 1997 as required under Section 9(2) of the Haryna Slaaries and Allowances of Minister Act, 1973.

The Annual Report of Hayana State Board for the Preventions & Controal of Water Pollution for the year 1991-92as required under Section 39(2) of the water (Prevetnion & Control of Pollution) Act, 1974.

The 20the Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Deveolopment Corporation Limited for the

year 1993-94 as required under Section 619-3 of the Companies Act, 1956.

The 21the Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Deveolopment Corporation Limited for the year 1994-95 as required under Section 619-3 of the Companies Act, 1956.

The 22the Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Deveolopment Corporation Limited for the year 1995-96 as required under Section 619-3 of the Companies Act, 1956.

The 29the Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Deveolopment Corporation Limited for the year 1995-96 as required under Section 619-3 of the Companies Act, 1956.

The Annual Financial Statement of the Haryan State Electictiy Board for the year 1997-98 and revised Estimates for the year 1996-97 as required under Section 61 (3) of the Electricity Supply Act, 1948.

The 29th Annual Statment of Accounts of the Harynana State Electricity Board for the Year 1995-96 as required under Section 69(5) (a) of the Electricitiy Supply Act, 1948.

वर्ष 1992-93 की एक्सैस डिमाडज औवर ग्राटस एंड
एप्रोप्रिएं आज प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1992-93.

Finance Minister (Shri Charan Dass): Sir, I beg to present the Excess Demands over Grants and Appropriation for the year 1992-93.

(I) दि हरियाणा एंड पजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हरियाणा अमेडमेट बिल, 1967

Mr. Speaker: Now, the Agriculture Minister will introduce the Haryana and Punjab Agricultural University (Haryana Amendment) Bill, 1997 and also move the motion for its consideration.

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal): Sir, I beg to introduce the Haryana and Punjab Agricultural Universities Haryana Amendment) Bill, 1997 I also beg move-

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motin moved.

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

That the Haryana and Punjab Agricultural Universities Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Encting Formula

Mr. Speaker: Question is

That the Enacting Fromula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That the Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Agriculture Minister will
Move the Bill be passed

Agriculture Minister (Shri Karan Singh Dalal):

Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(II) दि हरियाणा पंजाब एक्साइज हरियाणा अमैडमैट
बिल, 1997

Mr. Speaker: Now, the Agriculture Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill, 1997 and also move the motion for its consideration.

Food and Supplies Minister (Shri Ganeshi Lal):

Sir, I beg to introduce the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill, 1997.

स्पीकर साहब, यह बिल हम इसलिए लाए है कि जिनके पास इलिंसिट लिक्वर की समगल्ड की हुई 36 बोतल से ज्यादा बोतले पकड़ी जाए तो उनकी जमानत न हो सके। पहले मैण्डेटरी प्रोसिक्यू अन मे ले कर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेंट करते थे लेकिन कोर्ट्स मे जाकर उनकी जमानत हो जाती है। सरकार चाहती है कि ऐसे सब लोग जिनके पास 36 बोतले से ज्यादा इलिंसिट लिक्वर पकड़ी जाए उनकी जमानत न हो पाए। अब यह मना है कि पहले इन लोगों को इन्टैरोगेट किया जाए ताकि इस धन्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं और गवर्नर्मैट की पालिसी को फलाउट करते हैं ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। इस से पहले यह देखा गया है कि जितने भी ऐसे केसिज पकड़े जाते हैं लगभग वे जमानत पर छूट जाते हैं यह बिल इसलिए लाए ताकि वे लोग जमानत पर न छूट सके और पकड़े जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि—

दि हरियाणा पजाब एक्साइज (हरियाणा सैकिण्ड अमैडमैट) बिल, पर तुरन्त विचार किया जाए

Mr. Speaker: Motin moved.

That the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is

That the Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Encting Formula

Mr. Speaker: Question is

That the Enacting Fromula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That the Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Food and Supples Minister will move that the Bill Pased.

Food and Supplies Minister (Shri Ganishi lal): Sir,
I beg to meve-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Quesation is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(III) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमैट) बिल,
1997

Mr. Speaker: Now the Town and Country Planning Minister will introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1997 and also move the motion for its consideration.

नहरी एवम भाहरी आयोजन मंत्री (सेठ सिरी कि न दास): अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं गोधन) विधेयक, 1997 प्रस्तुत करता हू।

मै यह भी प्रस्ताव करता हू—

कि हरियाणा साधारण विक्रय कर (सं गोधन) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Encting Formula

Mr. Speaker: Question is

That the Enacting Fromula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is

That the Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed

Mr. Speaker: Now, the Town & Country Planning Minister will move that the Bill be passed

भाहरी एवम नगर आयोजन मंत्री (सेंठ सिरी कि न दास) अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हू।

कि विधायेक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House is adjourned till 9.30 A.M tomorrow.

16.56 hrs.

(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M tomorrow, the 22nd July, 1997.)